



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
की
चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं
की
विशेष लेखापरीक्षा**



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
संघ सरकार (सिविल)
(स्वायत्त निकाय)
2015 की प्रतिवेदन सं. 40
(विशेष लेखापरीक्षा)**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
की
चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं
की
विशेष लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
(स्वायत्त निकाय)
2015 की प्रतिवेदन सं. 40
(विशेष लेखापरीक्षा)

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	iii
कार्यकारी सारांश	v-vi
भाग-I	
प्रस्तावना	1-4
भाग-II	
लेखापरीक्षा परिणाम	5-33
उपसंहार	34-35
अनुबंध	37-57

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2008-09 से 2014-15 की अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह है जो जनवरी 2015 से मई 2015 की अवधि के दौरान की गई विशेष लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/कर्मचारी राज्य बीमा निगम से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है।

कार्यकारी सारांश

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुविमितीय सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे कुछ आकस्मिकताओं में एकमात्र अंशदान के प्रति दोनो नगद क्षतिपूर्ति तथा चिकित्सा लाभ प्रदान करने का आदेश दिया गया है। योजना को राज्य सरकारो के साथ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (अधिनियम) के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से अधिनियम को चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग महाविद्यालयों तथा इसके परा-चिकित्सा स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (धारा 59 ख को जोड़ा गया था) का प्रावधान करने हेतु मई 2010 में संशोधित किया गया था। ई.एस.आई.सी. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

ई.एस.आई.सी. के चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- निगम ने 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं में से 17 को संस्वीकृत किया था तथा अधिनियम के संशोधन के पूर्व 16 चिकित्सा परियोजनाओं का निर्माण प्रारम्भ किया तथा ₹ 1021.72 करोड़ का व्यय किया गया था।

(पैरा 2.2)

- सलाहकार द्वारा किए गए स्थलों/स्थानों के चयन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन विस्तृत नहीं था तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण हेतु ई.एस.आई.सी. द्वारा स्थलों का चयन भी विवेकाधीन तथा प्रतिमानों पर आधारित नहीं था।

(पैरा 2.3)

- विभिन्न वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरिंग सलाहकारों को विभिन्न निर्माण कार्यों का सौंपना मनमाने तरीके से किया गया था। इसके अतिरिक्त सी.वी.सी. निर्देशों के अनुसार सलाहकारों के देय शुल्क मूल संविदा मूल्य के अनुकूल होना चाहिए। 21 इकरारनामों में से छः में इस शर्त को शामिल न

करने के कारण ई.एस.आई.सी. ₹ 24.68 करोड़ का अतिरिक्त सलाहकार शुल्क अदा करने का उत्तरदायी था।

(पैरा 2.4)

- डाक्टरों तथा अन्य परा चिकित्सा स्टाफ को भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने हेतु खोले जाने वाले अपेक्षित महाविद्यालयों की संख्या का निर्धारण करने हेतु किया गया यथोचित परिश्रम, यदि कोई, उपलब्ध नहीं था।

(पैरा 2.6)

- निर्माण अभिकरणों को नामांकन आधार पर निर्माण कार्य सौंपने के कारण ई.एस.आई.सी. प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं उठा सकी।

(पैरा 2.8)

- प्रारम्भ की गई सभी चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं, दो को छोड़कर, समय से पीछे थीं। सभी परियोजनाओं की कुल लागत को ₹ 8611.94 करोड़ से ₹ 11997.15 करोड़ तक संशोधित किया गया था जिसका परिणाम ₹ 3385.21 करोड़ की अधिक लागत में हुआ।

(पैरा 2.9)

- स्नातकोत्तर संस्थान से उत्तीर्ण केवल 14 प्रतिशत छात्रों ने ई.एस.आई.सी. अस्पताल में कार्यग्रहण किया जिसने दर्शाया कि रिक्त पदों को भरने हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों को खोले जाने की नीति विफल थी।

(पैरा 2.11)

- निगम ने 4 दिसंबर 2014 को हुई अपनी 163वीं बैठक में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से बाहर आने का निर्णय लिया क्योंकि यह इसका कोई मूलभूत कार्य नहीं था। इस प्रयास से बाहर आने का निर्णय केवल देयता को सीमित करने हेतु एक प्रयोग था। इस प्रकार ई.एस.आई.सी. द्वारा चिकित्सा तथा परा चिकित्सा स्टाफ की कमी को पूरा करने हेतु अपनाई गई नीति पूर्णरूप से अप्रभावी थी।

(पैरा 2.12)

भाग-1

प्रस्तावना

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.एस.) रोजगार क्षति अथवा व्यावसायिक रोग के कारण बीमारी, मातृत्व और मृत्यु अथवा अंगहानि जैसी आकस्मिकताओं में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को सुरक्षा मुहैया करने के लिए अधिदेशित एक समन्वित सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस उद्देश्य के प्रति योजना बीमाकृत व्यक्तियों (आई.पी.) और उनके आश्रितों को पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं और बीमाकृत व्यक्तियों की किसी मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता की हानि के लिए नकद क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। योजना राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (अधिनियम) के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) द्वारा प्रचलित की जाती है। चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से अपने पैरा मैडीकल स्टॉफ के लिए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पी.जी कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रदान करने के लिए मई 2010 में अधिनियम संशोधित किया गया था (धारा 59 ख जोड़ी गई थी)। ई.एस.आई.सी. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एम.ओ.एल. एवं ई), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

1.1 संगठन, अभिशासन तथा कार्यान्वयन

ई.एस.आई.सी. का नई दिल्ली में अपना निगम कार्यालय है और अपने क्षेत्रीय फॉर्मेशनों के रूप में 23 क्षेत्रीय कार्यालय, 37 उप क्षेत्रीय कार्यालय और एक मण्डल कार्यालय है।

संघ का श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ई.एस.आई.सी. का अध्यक्ष है। महानिदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है।

ई.एस.आई.सी. औषधालयों, पैनल क्लीनिकों/निजी क्लीनिकों/नैदानिक केन्द्रों, मॉडल अस्पतालों सहित अस्पतालों, उपगृहों, क्षेत्रीय व्यावसायिक रोग अनुसंधान केन्द्रों आदि के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। इसका सुपर स्पेशलिटी निदानों के लिए अन्य अस्पतालों से भी सम्बन्ध है। ई.एस.आई.

योजना के अन्तर्गत ई.एस.आई.सी. 36 अस्पताल, 42 उपभवन¹ और 1384 औषधालय चलाता है, और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/निजी अस्पतालों/औषधालयों से सम्बन्ध हैं।

1.2 आय एवं व्यय

बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के अपने केन्द्र बिन्दु कार्यों को करने के उद्देश्य से ई.एस.आई.सी.. कर्मचारियों तथा योजना के अन्तर्गत शामिल कर्मचारियों से निर्धारित दरों पर अंशदान संग्रहित करता है। 2009-10 से 2013-14 तक के दौरान ई.एस.आई.सी.. का अंशदान, अन्य आय का कुल संग्रहण, व्यय और बचत के ब्यौरे तालिका 1.1 में दिए गए हैं:

तालिका 1.1: आय तथा व्यय

(` करोड़ में)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आय					
अंशदान	3896.00	5748.77	7070.11	8111.45	9632.54
अन्य आय	1189.17	1231.85	1323.44	2027.18	2276.90
जोड़	5085.17	6980.62	8393.55	10138.63	11909.44
व्यय					
चिकित्सा तथा नकद लाभ	2055.78	2620.22	3374.69	4695.69	5461.25
अन्य व्यय	656.04	707.38	887.01	1925.45	1028.02
जोड़	2711.82	3327.60	4261.70	6621.14	6489.27
बचत (व्यय की तुलना में आय का आधिक्य)	2373.35	3653.02	4131.85	3517.49	5420.17
संचित वेशी	10854.75	14507.77	18639.62	19157.09	15597.86

(स्रोत: ई.एस.आई.सी. के वार्षिक लेखे)

¹ उपभवन: 50 बिस्तरों से कम वाले अस्पतालों को उपभवन कहा जाता है।

1.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

ई.एस.आई.सी. की लेखापरीक्षा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 34 के साथ पठित नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत की जाती है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) स्वायत्त निकाय (प्रतिवेदन संख्या 2014 का 30) में हमने चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के कुछ पहलुओं पर टिप्पणियां की थीं।

नवम्बर 2014 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 13 चालू मेडीकल कॉलेज परियोजनाओं² की विशेष लेखापरीक्षा करने का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुरोध किया। मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से यह मांग की गई कि निम्नलिखित चिन्ताओं के समाधान करने के लिए विशेष लेखापरीक्षा की जाए:

- क्या चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लेते समय विधिवत सचेतना बरती गई थी?
- क्या ये परियोजनाएं ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 59(ख) के अन्तर्गत परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने के योग्य थीं?
- क्या इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर) के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था?

मंत्रालय ने 13 चालू चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए सीएजी को अनुरोध किया था। तथापि हमने अभिलेखों से देखा कि 13 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के स्थान पर ई.एस.आई.सी. ने 22 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं (अनुबन्ध-1) की स्थापना आरम्भ की थी।

² सनथनगर, हैदराबाद, तेलंगाना में पीजीआई एवं मेडिकल कॉलेज, (2) बिहटा, पटना, बिहार में मेडीकल कॉलेज, (3) बसईदारापुर, दिल्ली में पीजीआई एवं मेडिकल कॉलेज, (4) फरीदाबाद, हरियाणा में मेडीकल कॉलेज, (5) मण्डी, हिमाचल प्रदेश में मेडीकल कॉलेज, (6) गुलवर्गा, कर्नाटक में मेडीकल, डेन्टल तथा नर्सिंग कॉलेज, (7) राजाजीनगर, कर्नाटक में पीजीआई, मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज, (8) परिपल्ली, कोलम, केरल में मेडीकल कॉलेज, (9) अलवर, राजस्थान में मेडीकल कॉलेज, (10) के.के. नगर चेन्नई, तमिलनाडु में मेडीकल कॉलेज तथा पीजीआई, (11) कोयम्बटूर, तमिलनाडु में मेडीकल कॉलेज, (12) जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पीजीआई एवं मेडीकल कॉलेज, (13) भुवनेश्वर, ओडिशा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि एक चिकित्सा शिक्षा परियोजना यथा वाशी में डेन्टल कॉलेज अकेले डेन्टल कॉलेज के लिए भारतीय दन्त परिषद (डी.सी.आई.) प्रतिमानों में परिवर्तन के कारण 100 बिस्तर अस्पताल में परिवर्तित किया गया था (फरवरी 2013)। हमने सभी 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की लेखापरीक्षा की और इस प्रतिवेदन में इन 21 परियोजनाओं पर लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र

विशेष लेखापरीक्षा ई.एस.आई.सी. मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और ई.एस.आई.सी. मुख्यालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में यथा उपलब्ध चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित वांछित अभिलेखों की जनवरी 2015 से मई 2015 तक की अवधि के दौरान जांच की गई थी।

10 जून 2015 को ई.एस.आई.सी. तथा मंत्रालय को ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया था। ड्राफ्ट प्रतिवेदन की प्रतिक्रिया जो 7 अगस्त 2015 को प्राप्त हुई थी, पर उचित प्रकार विचार किया गया और प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

भाग-II

लेखापरीक्षा परिणाम

विशेष लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य के अन्तर्गत यह जांच की गई कि क्या चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लेते समय विधिवत सचेतना बरती गई थी, परियोजनाओं के लिए परिकल्पित उद्देश्य पूरे हुए और सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन किया गया। इसके लिए ई.एस.आई.सी. प्रबन्धन द्वारा चयनित विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं स्थापित करने, चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्थानों की व्यवहार्यता/चयन, परामर्शदाताओं के चयन में अन्तर्गत प्रक्रियाओं और इन कॉलेजों के लिए वित्तीय संसाधन प्रबन्ध करने में इसे समर्थ करने के लिए ई.एस.आई.सी. अधिनियम के संशोधन की पृष्ठभूमि की लेखापरीक्षा में जांच की गई।

ई.एस.आई.सी. द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की संवीक्षा तथा जांच के परिणामों से उत्पन्न महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

2. मेडीकल कॉलेजों की स्थापना

2.1 ई.एस.आई.सी. अधिनियम का संशोधन-पृष्ठभूमि

2.1.1 निगम की 139वीं बैठक (17 जुलाई 2007) में निगम सदस्यों द्वारा चिकित्सा/प्रशासनिक स्टाफ की कमी, जिसके कारण योजना के अन्तर्गत सेवाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं, का मुद्दा उठाया गया था। अध्यक्ष (ई.एस.आई.सी.) ने चाहा कि खाली पदों को भरने के लिए सुविचारित समय ढांचा तथा कार्ययोजना होनी चाहिए और महानिदेशक (डी.जी.) ई.एस.आई.सी. को निर्देश दिया कि इस मामले पर विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट निगम की अगली बैठक में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अध्यक्ष ने आगे उल्लेख किया कि पर्याप्त चिकित्सा/पैरामेडीकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पैरामेडीकल स्टाफ तथा स्नातकोत्तर शिक्षण सुविधाओं के लिए अपने स्वयं के मेडीकल कॉलेज, प्रशिक्षण स्कूल होने चाहिए थे और इस संबंध में कार्रवाई आरम्भ करने का महानिदेशक को निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 139वीं बैठक में ई.एस.आई.सी. अस्पतालों में जनशक्ति से सम्बन्धित कोई कार्यसूची मद नहीं थी। इसके अलावा लेखापरीक्षा पूछताछ के उत्तर में ई.एस.आई.सी. ने बताया (मई 2015) कि इस विषय पर ऐसी रिपोर्ट तैयार और डी.जी ई.एस.आई.सी. द्वारा ई.एस.आई.सी. निगम को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2.1.2 परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर ई.एस.आई.सी. अधिनियम में संशोधनों का मुद्दा, प्रस्तावित संशोधनों के ब्यौरों के साथ एक एजेंडे का विषय था। तथापि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ई.एस.आई अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया जाए और परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर संशोधन सुझाए जाये/निगम के उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में अध्यक्ष ई.एस.आई.सी. ने कथित प्रयोजन हेतु एक उपसमिति गठित की (30 जुलाई 2007)। उपसमिति में महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, उत्तराखण्ड से प्रतिनिधियों और संयोजक के रूप में डी.जी ई.एस.आई.सी. सहित नौ सदस्य शामिल थे। उपसमिति बैठकें 08 अगस्त 2007, 30 अगस्त 2007, 8 अक्टूबर 2007, को आयोजित की गई थीं। समिति की रिपोर्ट 18 फरवरी 2008 को आयोजित 142 वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में ई.एस.आई. अधिनियम की विभिन्न धाराओं के व्यापक संशोधन की सिफारिश की गई जिसमें अन्य के साथ सिफारिश की गई कि डाक्टरों तथा पैरामेडीकल स्टाफ की भारी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से निगम अपने पैरा मेडीकल स्टाफ के लिए मेडीकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करे। ये डॉक्टर/पैरा मेडीकल स्टाफ से ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषधालयों में ऐसी निम्नतम सेवा, जैसी ई.एस.आई.सी. द्वारा निर्धारित की जाए, देनी अपेक्षित होगी। निगम द्वारा रिपोर्ट स्वीकार की गई थी जिसने ई.एस.आई. अधिनियम में व्यापक संशोधन की सिफारिश की।

2.1.3 तदनुसार निगम ने ई.एस.आई. अधिनियम 1948 संशोधित करने के लिए एम.ओ.एल. एण्ड ई. को लिखा। मामला 16 अक्टूबर 2008 को आयोजित केबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया गया। केबिनेट ने निर्णय लिया कि इस मामले पर सचिवों की समिति द्वारा पहली बार में विचार किया जाए। सचिवों की समिति ने प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया (जनवरी 2009)। मामला 23 जुलाई 2009 को आयोजित केबिनेट बैठक में दोबारा प्रस्तुत किया गया और केबिनेट द्वारा उसे अनुमोदित किया गया था।

2.1.4 ई.एस.आई. अधिनियम में संशोधन का मामला अध्यक्ष द्वारा श्रम स्थाई समिति को भेजा गया था। स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट (9 दिसम्बर 2009) में अन्य संशोधनों के अतिरिक्त ऐसे स्थानों, जहाँ अधिसंख्यक बीमाकृत व्यक्ति और गरीब कामगार वर्ग जनता रहती है, में अपनी स्थापनाओं से पैरा मेडीकल स्टाफ के लिए मेडीकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की।

2.1.5 2009 के संशोधन विधेयक द्वारा ई.एस.आई.सी. अधिनियम मई 2010 में संशोधित किया गया था और धारा 59(ख) जोड़ी गई थी जो कहती है कि “कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से अपने पैरामेडीकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के लिए निगम मेडीकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करे।” इसके अलावा ई.एस.आई.सी. (संशोधन) अधिनियम 2010 के पैरा 19 के अनुसार 3 जुलाई 2008 को अथवा उसके बाद और संशोधित अधिनियम के आरम्भ के पूर्व तत्काल समाप्त अवधि के दौरान की गई सभी बातें और की गई कार्रवाई वैध की गई थीं।

2.1.6 लेखापरीक्षा ने देखा कि संशोधन की प्रक्रिया के दौरान एम.ओ.एल.एण्ड.ई. ने निगम की 147वीं बैठक की प्रस्तावित कार्यसूची पर एकीकृत वित्त प्रभाग की टिप्पणियां सूचित की (21 अगस्त 2009) कि मेडीकल कॉलेजों की स्थापना में निधियों का विशाल निवेश अन्तर्ग्रस्त था और या तो अधिनियम के संशोधन की प्रतीक्षा करना अथवा विधि मंत्रालय से कानूनी राय प्राप्त करना उचित होगा। उन्होंने आगे बताया कि विधि मंत्रालय के परामर्श से इन विषयों का समाधान किए जाने तक कोई निवेश नहीं किया जाए। 25 अगस्त 2009 को आयोजित निगम की 147वीं बैठक में आई.एफ.ए के परामर्श के विषय पर चर्चा की गई और सचिव (एल.एण्ड.ई) ने स्पष्ट किया कि पूर्व आई.एफ.ए ने ऐसा कोई विषय कभी नहीं उठाया। सचिव (एल.एण्ड.ई) ने उल्लेख किया कि इस तथ्य के बारे में पूर्णतया कोई सन्देह नहीं था कि ई.एस.आई.सी. अधिनियम की धारा 28(iv)³ के अन्तर्गत निगम

³ धारा 28(iv) ई.एस.आई. निधि केवल अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण तथा बीमाकृत व्यक्तियों और जहाँ चिकित्सा लाभ उनके परिवारों तक बढ़ाया गया है, के लाभ के लिए चिकित्सा तथा अन्य अनुषंगी सेवाओं के प्रावधानों के प्रयोजन हेतु खर्च की जाएगी।

को चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं आरम्भ करने की पूर्ण शक्तियां थीं। धारा 59⁴ केवल आगे विस्तार करने और उस पर केन्द्र करने के लिए संशोधित की जा रही थी।

2.2 अधिनियम में संशोधन से पूर्व मेडीकल कॉलेजों के निर्माण पर व्यय

यह पाया गया था कि अधिनियम में संशोधन से पूर्व निगम ने 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं में से 17 संस्वीकृत की थीं और 16⁵ मेडीकल कॉलेजों का निर्माण भी आरम्भ कर दिया और ₹1021.72 करोड़ (जिसमें निष्पादन एजेंसियों को प्रदत्त लामबंदी अग्रिम शामिल था) का व्यय कर दिया। ई.एस.आई.सी. के अभिलेखों से मेडिकल कॉलेजों को खोलने की संख्या और स्थानों के मामले में श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के विशेष प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन का पता नहीं चला था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि उनकी कार्रवाईयां 2010 में अधिनियम के संशोधन से वैध की गई थीं। संसद द्वारा सभी कार्रवाईयों का वैधीकरण दर्शाता है कि एम.ओ.एल. एण्ड. ई के एकीकृत वित्त प्रभाग का तर्क कि परियोजना पर कोई खर्च न किया जाए उचित था और पूर्वव्यापी वैधीकरण की प्रत्याशा में विशाल व्यय करना विवेकी प्रथा नहीं है। इसके अलावा 3 जुलाई 2008 के पूर्व आरम्भ किए गए कार्यकलाप संशोधन अधिनियम 2010 द्वारा वैध नहीं किए गए थे।

⁴ धारा 59- निगम राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य में ऐसे अस्पताल, औषधालय तथा अन्य मेडीकल और सर्जिकल सेवाएं जैसी बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए उचित मानी जाए, स्थापित तथा अनुरक्षित करें।

⁵ सनथनगर, हैदराबाद में पीजीआई संस्थान एवं मेडीकल कॉलेज, 2. बिहटा, पटना में मेडीकल कॉलेज, 3. पीजी तथा मेडीकल कॉलेज, बसईदादापु, दिल्ली, 4. फरीदाबाद, हरियाणा में मेडीकल कॉलेज, 5. मेडीकल कॉलेज राजाजीनगर, बैंगलुरु 6. मेडीकल कॉलेज, मण्डी, 7. मेडीकल कॉलेज परिवल्ली, केरल, 8. पीजीआई तथा मेडीकल कॉलेज केके नगर, चेन्नई, 9. मेडीकल कॉलेज कोयम्बटूर 10. पीजीआई तथा मेडीकल कॉलेज जोका कोलकाता, 11. पी.जी.आई.एम.एस.आर, अंधेरी मुम्बई. 12. पीजीआई एम.एस.आर. पेरल, मुम्बई 13. डेन्टल कॉलेज पाण्डुनगर, 14. पीजीआई एम.एस.आर अय्यनवरम चेन्नई 15. पीजीआई एम.एस.आर मानिकतला (पश्चिम बंगाल) 16. डेन्टल कॉलेज नाचाराम हैदराबाद

2.3 मेडीकल कॉलेजों की स्थापना के लिए स्थल/स्थानों के चयन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना:

ई.एस.आई.सी. ने कम से कम एक मेडीकल कॉलेज स्थापित करने का अनुभव रखने वाले परामर्शदाताओं/संगठनों से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की (जुलाई 2007) प्राप्त 56 आवेदनों में से निम्नतम होने पर, मै. मेडीसिस प्रोजेक्ट कंसलटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार किया गया था। ई.एस.आई.सी. ने कार्य के लिए ₹18 लाख की ठेका राशि के लिए मै. मेडीसिस प्रोजेक्ट कंसलटेन्टस प्रा.लि. के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षर किया (फरवरी 2008)। सलाहकार से चार माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। कार्य के क्षेत्र में निम्न शामिल थे:

- 1) ई.एस.आई.सी. से उपलब्ध डाटा का संग्रहण
- 2) सभी अस्पतालों का दौरा करना और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सूचना का संग्रहण।
- 3) सभी सम्भावित स्थानों पर सभी प्रकार के कॉलेजों/स्कूलों की पहचान करना जो ई.एस.आई.सी. के नेटवर्क के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में स्थापित किए जा सकते हैं।
- 4) उपर्युक्त संस्थान स्थापित करने के लिए इन अस्पताल भवनों में अपेक्षित परिवर्तनों/परिवर्धन, संशोधनों के ब्यौरे तैयार करना।
- 5) भारतीय चिकित्सा (एम.सी.आई) भारतीय नर्सिंग परिषद (एन.सी.आई) भारतीय दन्त्य परिषद (डी.सी.आई) के मार्गनिर्देशों के अनुसार व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

परामर्शदाता ने विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित ई.एस.आई-पी.जी.आई एम.एस.आर परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की (17 मार्च 2008)।

परामर्शदाता की व्यवहार्यता रिपोर्ट में 14 राज्यों में 60 सूचीबद्ध स्थानों के ब्यौरे शामिल थे (अनुबन्ध-II)। वे स्थान भूमि की उपलब्धता, अस्पताल बिस्तरों की उपलब्धता आदि के आधार पर परामर्शदाता द्वारा सूचीबद्ध किए गए थे। इन 60 स्थानों में से आठ राज्यों (दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश,

केरल, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र) में 14 स्थानों का ई.एस.आई.सी. द्वारा चयन किया गया था।

ई.एस.आई.सी ने आठ राज्यों में सात अन्य स्थानों का भी चयन किया जो परामर्शदाता की सूची में शामिल नहीं किए गए थे (अनुबन्ध-II)। ये स्थान गुलबर्गा (कर्नाटक), बिट्टा (बिहार), मण्डी (हिमाचल प्रदेश), अलवर (राजस्थान), मानिकतला, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), फरीदाबाद⁶ (हरियाणा) तथा भुवनेश्वर (ओडिशा) में थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- व्यवहार्यता अध्ययन के विचारार्थ विषय अपूर्ण थे क्योंकि इसमें अन्तर्ग्रस्त पूंजी और आवर्ती व्यय, ई.एस.आई.सी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित कॉलेजों की संख्या, भावी आवश्यकताएं और इन मेडीकल कॉलेजों के माध्यम से डाक्टरों/पैरा मेडीकल स्टाफ की वास्तविक उपलब्धता, दक्षता और खुले बाजार से डाक्टर/पैरा मेडीकल स्टाफ भर्ती करने की वर्तमान प्रथा की तुलना में मेडीकल कॉलेज परियोजनाओं से डाक्टरों/पैरा मेडीकल स्टाफ की भर्ती की लागत, इन कॉलेजों के संकाय के लिए डाक्टरों की उपलब्धता, इस योजना के अन्य पक्ष विपक्ष आदि जैसे विषय शामिल नहीं किए गए थे।
- परामर्शदाता द्वारा सिफारिश न किए गए स्थानों के चयन के कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस प्रकार, किया गया व्यवहार्यता अध्ययन इसलिए व्यापक नहीं था और चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण हेतु ई.एस.आई.सी. द्वारा स्थानों का चयन भी मनमाना था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि परामर्शदाता ने आबंटित कार्य के क्षेत्र के अनुसार चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की स्थापना करने पर व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परामर्शदाता द्वारा चयनित के अतिरिक्त स्थान मेडीकल कॉलेज राज्यों जहाँ निगम का 300 बिस्तर अस्पताल विद्यमान नहीं था, के लिए कम से कम 25 एकड़ भूमि के आबंटन के लिए सचिवों को महानिदेशक, ई.एस.आई.सी. द्वारा लिखे गए अर्द्धशासकीय पत्र का जवाब दिया, में थे। भूमि राज्य सरकार द्वारा

⁶ एन एच III, एन आई टी, फरीदाबाद में मेडीकल कॉलेज तथा अस्पताल के निर्माण हेतु नए स्थान का चयन किया गया था।

आवंटित की गई थी और कुछ स्थानों, जहाँ निर्माण आरम्भ किया गया था, पर आधारशिला तत्कालीन अध्यक्ष, ई.एस.आई.सी. द्वारा रखी गई थी।

मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि संशोधन के उद्देश्य की उपेक्षा की गई थी और चिकित्सा शिक्षा परियोजना उर्दिष्ट करने से पूर्व व्यापक अध्ययन करने में निगम विफल हो गया था।

2.3.1 ठेका आधार पर सलाहकार (चिकित्सा शिक्षा) की नियुक्ति:

ई.एस.आई.सी. ने 20,000 प्रति माह जमा ई.एस.आई.सी. के अपर आयुक्त की श्रेणी के बराबर दौरे पर अन्य हकदारियों की प्रतिपूर्ति के मानदेय पर छः माह की अवधि के लिए सलाहकार (चिकित्सा शिक्षा) के रूप में व्यवहार्यता अध्ययन के लिए डा.एम.शमसुद्दीन, प्रबन्ध निदेशक, मै. मेडीसिस प्रोजेक्ट्स कंसलटेन्ट्स प्रा.लि. को लगाया (26 मई 2008 को)। सलाहकार की शर्तों में अन्य बातों के साथ विभिन्न चिकित्सा परियोजनाओं आदि की स्थापना सुगम करने के लिए ई.एस.आई.सी. चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के डीन के साथ समन्वय में कार्य करने के लिए भिन्न नियामक प्राधिकरणों से सम्पर्क कार्य का प्रावधान किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सलाहकार, जिसे छः माह के लिए लगाया गया था, ने लगातार चार वर्षों तक कार्य किया और उसकी अवधि नौ बार बढ़ाई गई थी। मानदेय की राशि भी 21 नवम्बर 2008 को 30,000 प्रति माह और आगे 22 अगस्त 2012 को 50,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई थी। इसके अलावा, सलाहकार की नियुक्ति के समय पर और मानदेय के बाद के संशोधनों के समय पर भी स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। सलाहकार के लिए मानदेय तथा अन्य खर्चों के प्रति ₹20.72 लाख का कुल व्यय किया गया था। ई.एस.आई.सी. के अभिलेखों से सलाहकार द्वारा किए गए कार्य के किसी निर्धारण का पता नहीं चला था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि सलाहकार की नियुक्ति डी.जी, ई.एस.आई.सी. के अनुमोदन से उसको प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत की गई थी। वृद्धि आवश्यकता और संतोषजनक निष्पादन के आधार पर दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सलाहकार के कार्य के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज लेखापरीक्षा को नहीं भेजे गए थे।

2.4 वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों की नियुक्ति

ई.एस.आई.सी. ने देश के विभिन्न भागों में अपने अस्पतालों औषधालयों, कार्यालयों तथा आवास सुविधाओं के निर्माण के लिए वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकार/परियोजना प्रबन्धन सलाहकारों की सूची बनाने के लिए नवम्बर 2007 में विज्ञापन जारी किया। सूची की योग्यता यह थी कि फर्म ने कम से कम दो समान परियोजनाओं के लिए व्यापक सेवाएं दी हों जिनकी परियोजना लागत गत पांच वर्षों में ₹20 करोड़ से अधिक हो और गत तीन वर्षों में अर्जित सलाहकार फीस के अनुसार औसत टर्नओवर कम से कम ₹50 लाख हो। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निगम ने वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों के रूप में 15 फर्मों को सूचीबद्ध किया। निगम ने नामांकन आधार पर 15 सूचीबद्ध वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों (अनुबन्ध-III) में से आठ वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों को 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं आवंटित की। लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- ₹8611.94 करोड़ के कुल मूल्य वाली भिन्न परियोजनाएं किसी विशेष मानदण्ड के बिना नामांकन आधार पर भिन्न सलाहकारों को सौंपी गई थीं।
- सलाहकार की सूची के लिए दिए गए विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि ई.एस.आई.सी. चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सलाहकारों की सूची बनाना चाहता है।
- कुल 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य मै. डिजाइन एसोसिएट्स को दिए गए थे।
- मै. डिजाइन एसोसिएट्स को कार्यों का बड़ा ब्लॉक सौंपने (₹3020.09 करोड़ की मूल अनुमानित लागत और आज तक ₹63.39 करोड़ की सलाहकार फीस भुगतान वाले आठ कार्य) का आधार अभिलेखों में नहीं था।
- परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मै. डिजाइन एसोसिएट्स की क्षमता तथा दक्षता का किसी भी स्तर पर ई.एस.आई.सी. ने निर्धारण नहीं किया।
- मै. डिजाइन एसोसिएट्स द्वारा किए गए सभी कार्यों के निष्पादन में दो से पांच वर्षों तक का विलम्ब हुआ था।

- कुल मिलाकर ₹ 173.82 करोड़ का भुगतान सभी वास्तुकारों तथा इंजीनियरी सलाहकारों को किया गया था (अनुबन्ध-III)।
- सी.वी.सी मार्गनिर्देशों (25 नवम्बर 2002) के अनुसार सलाहकारों की प्रवृत्ति अधिक फीस के लिए कार्य की लागत बढ़ाने की होती है क्योंकि सामान्यतः सलाहकार की फीस परियोजना की अन्तिम लागत की निश्चित प्रतिशतता पर निर्धारित की जाती है। परिणामतः सी.वी.सी. ने निर्देश दिया कि सलाहकार की फीस मूल ठेका मूल्य के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों के साथ ई.एस.आई.सी. द्वारा किए गए अनुबन्ध के अनुसार देय ठेका मूल्य निष्पादित कार्य के अंतिम मूल्य के तीन प्रतिशत होगी। तथापि, देय कुल ठेका मूल्य कार्य सौंपने के समय पर कार्य के अनुमोदित अनुमान की सहमत दर पर देय फीस तक सीमित (पर सीमित) होगा। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया है कि, सनथ नगर, तेलंगाना, मानिकतला, पश्चिम बंगाल, जोका, पश्चिम बंगाल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, मण्डी, हिमाचल प्रदेश और के.के.नगर, तमिलनाडु की छः परियोजनाओं में वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों को देय फीस मूल ठेका मूल्य पर सीमित नहीं गई है जैसा अन्य ठेकों में किया गया है। इन छः परियोजनाओं की मूल लागत 31 मार्च 2015 तक ₹ 2618.51 करोड़ से ₹ 3441.24 करोड़ तक संशोधित की गई थी। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त खण्ड शामिल न करने के कारण वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों को देय अतिरिक्त फीस ₹ 24.68 करोड़ होगी।

इस प्रकार भिन्न वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों को भिन्न कार्यों का सौंपना न केवल मनमाने ढंग में किया गया था बल्कि परिणामस्वरूप इन कुछ सलाहकारों का अनुचित पक्ष भी हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि सभी सूचीबद्ध सलाहकारों के प्रत्यायकों की आवेदन की संवीक्षा और सूची के लिए आगे सिफारिशों के लिए गठित समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था। मै. डिजाइन एसोसिएट्स को आठ परियोजनाओं का आवंटन महानिदेशक, ई.एस.आई.सी के अनुमोदन से किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूचीबद्ध करने का मानदण्ड यह था कि फर्म ने कम से कम दो समान परियोजनाओं के लिए व्यापक सेवाएं दी हैं जिनकी

निर्माण लागत गत पांच वर्षों में 20 करोड़ से अधिक हो और गत तीन वर्षों में अर्जित सलाहकार फीस के अनुसार औसत टर्नओवर कम से कम 50 लाख का हो। परन्तु डिजाइन एसोसिएट को आवंटित कार्य की मात्रा तुलनीय नहीं थी क्योंकि 2004-05 से 2006-07 तक के दौरान इसका टर्नओवर 37.88 लाख से 64.18 लाख के बीच था और ई.एस.आई.सी. डिजाइन एसोसिएट्स को पहले ही 63.39 करोड़ का भुगतान कर चुका है (मार्च 2015 तक)

2.5 वास्तुकारों द्वारा विशेष जॉब का निष्पादन न करना

ई.एस.आई.सी. ने व्यापक वास्तुशिल्पीय अथवा इंजीनियरी परामर्शी सेवाएं देने के लिए वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों के साथ ठेका अनुबन्ध किया। वास्तुकार सलाहकारों के साथ अनुबन्ध के अनुसार उन्हें निष्पादित कार्य के अन्तिम मूल्य के तीन प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा अन्तरिम भुगतान कार्य के नवीनतम उपलब्ध अनुमान पर जारी किये जाएंगे।

वास्तुकारों के कार्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ संकल्पना डिजाइन तथा ड्राइंग रिपोर्ट, प्राथमिक डिजाइन रिपोर्ट, सामग्री रिपोर्ट, सांविधिक निकायों से प्रमाणपत्र और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) से ऊंचाई अनुमति प्रमाणपत्र और परियोजना का मॉडल, तकनीकी विनिर्देशन, दर विश्लेषण, लागत अनुमान, परिमाण पत्र (बी.ओ.क्यू.), सममूल्य बी.ओ.क्यू. विनिर्देशनों सहित निविदा दस्तावेज तथा निविदा ड्राइंग, जांच प्रक्रिया, परियोजना अनुमति रिपोर्ट, निर्मित ड्राइंग, समापन ड्राइंग के रूप में निविदा दस्तावेज आदि शामिल थे।

वास्तुकारों के साथ अनुबन्ध के अनुसार उनसे निविदा आमंत्रण, निविदा दाताओं के निर्देश, ठेके की सामान्य तथा विशेष शर्तें, ई.एम.आई.सी. मानक प्रपत्र के आधार पर ड्राइंग आदि सहित निविदा दस्तावेज तैयार करना और ई.एस.आई.सी. का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त करना, ई.एस.आई.सी. की ओर से प्रतियोगी निविदा आमंत्रित करना, प्राप्त निविदा का मूल्यांकन करना, और कार्य सौंपने के पूर्ण औचित्य के साथ सिफारिश प्रस्तुत करना और ई.एस.आई.सी. के अनुमोदन बाद ग्राहक तथा ठेकेदार के बीच ठेका अनुबन्ध अन्तिम करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ई.एस.आई.सी. बाद में सरकारी निर्माण एजेंसियों/ कम्पनियों को प्रतियोगी निविदा आमंत्रण का अनुपालन किए बिना नामांकन आधार पर सभी परियोजनाओं का आवंटन किया। परिणामतः अनेक कार्य जो वास्तुकार तथा

इंजीनियरी सलाहकारों द्वारा किए जाने अपेक्षित थे इन एजेंसियों द्वारा नहीं किए गए थे। इस प्रकार वास्तुशिल्पीय एजेंसियों को विशाल भुगतान किए गए थे और ई.एस.आई.सी. द्वारा ठेका के अनुसार उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि अधिकांश परियोजनाओं में वास्तुकारों को केवल वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी परामर्शी सेवाओं का कार्य दिया गया था। साथ ही ई.एस.आई.सी. ने मेडिकल परियोजनाओं का निर्माण कार्य सरकारी निर्माण एजेंसियों (केन्द्रीय राज्य पी.एस.यू.) को सौंपा गया था। इसलिए वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी सलाहकारों द्वारा निविदा आमंत्रित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ था।

निगम ने विभिन्न वास्तुशिल्प कार्य नामांकन आधार पर आवंटित किए थे। कार्य के क्षेत्र में अन्य बातों के साथ निविदा आमंत्रण कार्य शामिल था। बाद में जब निगम ने निर्णय लिया कि निर्माण कार्य निर्माण एजेंसियों को नामांकन आधार पर सौंपे जाने हैं तब इन वास्तुकार एवं इंजीनियरी सलाहकारों के ठेका अनुबन्धों की समीक्षा और वास्तुकार फीस से आवश्यक कटौती की जानी चाहिए थी।

मामला अध्ययन-। भुवनेश्वर में मेडिकल कॉलेज परियोजना पर निष्फल व्यय

ई.एस.आई.सी. ने भुवनेश्वर में मेडिकल कॉलेज का अनुमोदन किया/परियोजना का वास्तुशिल्पीय कार्य में मुकेश एसोसिएट्स को सौंपा गया था। परियोजना की अनुमानित लागत ₹700 करोड़ थी। यह देखा गया था कि परियोजना पर ₹13.21 करोड़ की राशि खर्च की गई थी (भूमि की कीमत ₹2.54 करोड़, चारदीवारी का निर्माण ₹2.13 करोड़, और वास्तुकार फीस ₹8.54 करोड़)। बाद में ई.एस.आई.सी. ने 4 दिसम्बर 2014 को आयोजित अपनी 163वी. बैठक में भुवनेश्वर में चिकित्सा शिक्षा परियोजना का निर्माण स्थगित कर दिया क्योंकि भुवनेश्वर में 1 लाख से कम आई पी है जो 500 बिस्तर अस्पताल के लिए पर्याप्त नहीं है और यह चिकित्सीय सामग्री के एम सी आई प्रतिमानों की कमी के अन्दर आएगा/लेखापरीक्षा ने देखा कि यह शर्त परियोजना के चयन समय पर पहले ही विद्यमान थी। इसलिए ई.एस.आई.सी. को इस परियोजना को आरम्भ नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार परियोजना पर निगम द्वारा किया गया व्यय निष्फल हो गया था।

2.6 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं

(i) चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के लिए अनियमित/अव्यवहार्य स्थल-निर्धारित प्रतिमानों को पूरा न करना आई.पी.की अपर्याप्त संख्या

संसद की श्रम स्थाई समिति ने वर्ष 2009-10 की रिपोर्ट में ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषधालयों में डाक्टरों तथा पैरामेडीकल स्टाफ की भारी कमी के कारण मेडिकल कॉलेजों/नर्सिंग कालेज/प्रशिक्षण संस्थानों आदि स्थापित करने के सरकार के प्रस्ताव से सहमति जताई। तथापि समिति ने सिफारिश की कि ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल उन स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ आई.पी. तथा गरीब कामगार वर्ग जनता अधिक संख्या में रह रही थी ताकि उन्हें अधिक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया की जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के लिए भिन्न स्थानों के चयन का औचित्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था
- डाक्टरों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खोले जाने को अपेक्षित कॉलेजों की संख्या अभिनिश्चित करने के लिए दी गई विधिवत सचेतना यदि कोई हो, उपलब्ध नहीं थी।
- विभिन्न स्थानों/चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की संख्या के लिए ई.एस.आई.सी. निगम का परियोजना वार अनुमोदन उपलब्ध नहीं था।
- ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 59 और ई.एस.आई.सी. (सामान्य) विनियमन 1950 के विनियम 9(ई) के अनुसार अस्पताल निर्माण करने के लिए ई.एस.आई.सी. निगम का अनुमोदन अपेक्षित है। ई.एस.आई.सी. ने चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत बिहटा, फरीदाबाद, मण्डी, गुलबर्गा तथा अलवर में नए अस्पतालों का निर्माण किया था। परन्तु ई एस आई सी निगम से उसके लिए कोई अनुमोदन अभिलेखों में नहीं था।
- 21 स्थानों में से छः⁷ में ई एस आई सी प्रतिमानों के अनुसार आई पी की निम्नतम अपेक्षा पूरी नहीं की गई थी। इससे स्थाई समिति की सिफारिशों का भी उल्लंघन हुआ जिनमें यह कहा गया था कि “ये मेडीकल कालेज तथा

⁷ 1. बिहटा, पटना 2. मण्डी, हिमाचल प्रदेश 3. गुलबर्गा, कर्नाटक 4. अलवर, राजस्थान 5. परीपल्ली, कोल्लम केरल 6. भुवनेश्वर, ओडिशा।

अस्पताल ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ अधिसंख्या आई पी रहते हैं ताकि उन्हें अधिक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया की जा सके”।

- बददी, बासवगुण्डी तथा भिवण्डी में आई.पी. स्थिति बिहटा, मण्डी, गुलबर्गा तथा अलवर की अपेक्षाकृत अधिक थी। तथापि इन स्थानों का चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ई.एस.आई.सी. द्वारा चयन नहीं किया गया था।
- ई.एस.आई.सी. ने गुलबर्गा, मण्डी, अलवर तथा बिहटा में नए अस्पताल भवनों के साथ चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं खोलने का निर्णय लिया था जहाँ न तो इसका वर्तमान अस्पताल था और न ही नया अस्पताल खोलने के लिए आई.पी. के अपने स्वयं के प्रतिमानों को पूरा किया गया था।

- (ii) **सहयोग प्रबन्ध:** ई.एस.आई.सी. द्वारा सहयोग प्रबन्ध पूर्व स्थिति में लाया गया था जब इनका अपनी अस्पताल अवसंरचना उपलब्ध नहीं थी और सरकारी अस्पताल के उचित प्राधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है और शिक्षण तथा अनुसंधान करने के लिए ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज का संकाय सैद्धान्तिक रूप से अनुमत करने को सहमति देता है।

ई.एस.आई.सी ने मण्डी, फरीदाबाद तथा गुलबर्गा में जिला अस्पतालों के साथ सहयोग प्रबन्ध किया था। मूल प्रतिमानों/अपेक्षाओं को पूरा करना सुनिश्चित किए बिना मेडिकल कॉलेज खोलना अपने स्वयं के अस्पताल होने के स्थापित सिद्धान्त के प्रतिकूल था और विवेकी नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि मेडिकल कॉलेज आरम्भ करने के लिए सहयोग प्रबन्ध अनिवार्य रूप से अपेक्षित थे। गुलबर्गा में मेडिकल कॉलेज 2013-14 से आरम्भ किया गया है जबकि फरीदाबाद तथा मण्डी में मेडिकल कॉलेज अभी आरम्भ किये जाने हैं।

यह स्पष्ट था कि ई.एस.आई.सी. के पास मेडिकल कॉलेजों का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व अस्पताल की पूर्ण अवसंरचना मौजूद नहीं थी।

2.7 नियामक निकायों के प्रतिमानों को पूरा न करने के कारण अनुमोदन प्राप्त न करना

लेखापरीक्षा में आई.पी. के प्रतिमानों, नियामक निकायों (अर्थात एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई. आदि) से अनुमोदनों की उपलब्धता, भूमि और अस्पताल अवसंरचना की उपलब्धता आदि के संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के ब्यौरों की जांच की गई। इन परियोजनाओं की स्थिति अनुबन्ध-IV तथा V में दी गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नियामक निकायों के अनिवार्य अनुमोदन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 2008-09 में आरम्भ हुई। इसके बाद एम.सी.आई. निरीक्षकों द्वारा ई.एस.आई.सी. कॉलेजों का निरीक्षण किया गया था और कुछ कमियों का उल्लेख किया गया था। एम.सी.आई. निरीक्षकों द्वारा उल्लिखित कमियों के कुछ उदाहरण डीन की कमी, शिक्षण संकाय की कमी, अपर्याप्त पुस्तकालय, अपर्याप्त अवसंरचना तथा दस्तावेजीकरण आदि थे। ये कमियां बाद में निगम द्वारा दूर की गई थीं और पाठ्यक्रमों के अनुमोदन 2010 से आरम्भ हुए। 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं में से केवल 10 मेडिकल/पी जी कालेजों/डेन्टल कालेजों⁸ में आज तक एम.सी.आई. अनुमोदन प्राप्त थे। अन्य मामलों में, चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए नियामक निकायों का अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। ई.एस.आई.सी. ने शिक्षण सत्र 2014-15 के लिए मण्डी, फरीदाबाद, सनथ नगर, कोयम्बटूर तथा परीपल्ली में पांच मेडिकल कालेज आरम्भ करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को आवेदन किया। आज तक उनका अनुमोदन नहीं हुआ था।

इस प्रकार ई एस आई सी द्वारा पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण मण्डी, फरीदाबाद, सनथ नगर, कोयम्बटूर तथा परीपल्ली में चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं को आवश्यक एन सी आई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सम्पर्क कार्य हेतु नियुक्त चिकित्सा सलाहकार/ परामर्शदाता की नियुक्ति अनुचित रही।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि नियामक प्राधिकरणों द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति की मंजूरी अनेक शर्तों अर्थात अवसंरचना,

⁸ मेडिकल कॉलेजों एवं पी.जी.आई.एम.एस.आर., राजाजी नगर, बंगलौर, के.के. नगर, चैन्नई, जोका, कोलकाता एवं मेडिकल कॉलेज गुलबर्ग, कर्नाटक, पी.जी.आई.एम.एस.आर. बसई दारापुर, नई दिल्ली, परेल, मुंबई, अंधेरी, मुंबई, मानिकतला डेन्टल कॉलेज रोहिणी, दिल्ली एवं नर्सिंग कॉलेज, इंदिरा नगर, कर्नाटक।

उपकरण, चिकित्सीय सामग्री, संकाय संस्थापन आदि को पूरा करने के अध्यक्षीन थी। सलाहकार ने नियामक निकायों के साथ सभी नियामक मामलों को प्रभावी रूप से तैयार करने में ई.एस.आई.सी. की सहायता की थी।

इस प्रकार यह देखने में आएगा कि ई.एस.आई.सी. ने सलाहकार के माध्यम से नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अग्र आधार पर कार्य पूर्ण नहीं किया था।

2.8 परियोजनाओं के निष्पादन हेतु निर्माण एजेंसियों का चयन

जी.एफ.आर. के नियम 204(vii) के अनुसार लागत सहित ठेकों का सामान्यतया परिहार किया जाना चाहिए जहाँ ऐसे ठेके अपरिहार्य हो वहाँ ठेका करने से पूर्व पूर्ण औचित्य दर्ज किया जाना चाहिए।

वास्तुकार तथा इंजीनियरी सलाहकारों के साथ ई.एस.आई.सी. द्वारा किए गए अनुबन्धों के अनुसार वास्तुकारों के कार्य के क्षेत्र में अन्य के साथ ई.एस.आई.सी. मानक फार्मेट के आधार पर निविदा के आमंत्रण निविदादाताओं को निर्देश, ठेका की सामान्य तथा विशेष शर्तें, विनिर्देशन ड्राइंग आदि सहित निविदा दस्तावेजों की तैयारी और ई.एस.आई.सी. से सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त करना, ई.एस.आई.सी. की ओर से प्रतियोगी निविदा आमंत्रित करना, प्राप्त निविदा का मूल्यांकन करना और कार्य सौंपने के लिए पूर्ण औचित्य के साथ सिफारिश प्रस्तुत करना तथा ई.एस.आई.सी. के अनुमोदन के बाद ग्राहक तथा ठेकेदार के बीच ठेका अनुबन्ध को अन्तिम रूप देना शामिल थे। उन्होंने निविदा आमंत्रण प्रक्रिया को आवश्यक बनाया। लेखापरीक्षा में 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान संस्वीकृत 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निष्पादन हेतु ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया की जांच की गई। परियोजना लागत, संस्वीकृति की तारीख और निष्पादक एजेंसियों के ब्यौरे अनुबन्ध- vi में दिए गए हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- वास्तुकार एवं इंजीनियरी सलाहकारों द्वारा तैयार परियोजनाओं की लागत के आधार पर ई.एस.आई.सी. ने विभिन्न निर्माण एजेंसियों जैसे एन.बी.सी. सी, यू.पी.आर.एन.एन, ई.पी.आई. आदि को नामांकन आधार पर 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण से सम्बन्धित कार्य टर्नकी आधार पर आवंटित किया।

- नामांकन आधार पर कार्यों को सौंपने की ई.एस.आई.सी. की कार्रवाई निर्धारित प्रतिमानों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं थी। इन निर्माण एजेंसियों के चयन का आधार अभिलिखित नहीं था, और इसलिए मनमाना था।
- परियोजनाओं को निविदा आमंत्रण से परियोजनाओं को नामांकन आधार पर सौंपने के निर्णय के परिवर्तन का औचित्य अभिलिखित नहीं था।
- 2009 तथा 2010 के दौरान ई.एस.आई.सी. ने वास्तुकार तथा इंजीनियरी सलाहकारों के साथ 18 ठेका अनुबन्ध किए हैं जो कहते हैं कि ये एजेंसियां इन परियोजनाओं के लिए प्रतियोगी निविदा आमंत्रण करेंगी। साथ ही, ई.एस.आई.सी. निर्माण एजेंसियों को नामांकन आधार पर इन परियोजनाओं का आवंटन कर रहा था।
- नामांकन आधार पर कार्यों को सौंपने के कारण ई.एस.आई.सी. प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि कार्यों की ₹8611.94 करोड़ की मूल लागत ₹11997.15 करोड़ तक संशोधित की गई थी।
- निर्माण एजेंसियों ने इन परियोजनाओं को आगे एक के बाद एक आधार पर उप ठेकेदारों को सौंप दिया। मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर तथा मेडिकल कॉलेज बिहटा की दो परियोजनाओं की नमूना जांच से पता चला कि उप ठेकेदारों को निर्माण एजेंसियों द्वारा सौंपे गए कार्यों की लागत और दरों जिन पर ई एस आई सी द्वारा निर्माण एजेंसियों को सौंपे गए थे के बीच ₹72.98 करोड़ का अन्तर था।
- चूंकि ई.एस.आई.सी. का आयुक्त, पी.एम.डी. की अध्यक्षता में 2008 से अपना स्वयं का पूर्ण परियोजना प्रबन्धन प्रभाग है इसलिए कार्यों के निष्पादन हेतु इंजीनियरी बाह्य एजेंसी की आवश्यकता पी.एम.डी. की भूमिका और अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

इस प्रकार, निर्माण एजेंसियों को कार्यों का आवंटन न केवल मनमाना था बल्कि ई.एस.आई.सी. ने प्रतियोगी दरों का लाभ भी खो दिया था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि आरम्भ से ही निर्माण कार्य सी पी.डब्ल्यू.डी., एन.बी.सी.सी., यू.पी.आर.एन.एन.एल. आदि जैसी निर्माण एजेंसियों के माध्यम से निक्षेप कार्य आधार पर निष्पादित किये जा रहे थे। ऊपर कथित प्रबन्ध सन्तोषजनक

होना नहीं पाया गया था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप विलम्ब, लागत अधिधाव, डिजाइन की खराब गुणवत्ता आदि हुए। इसलिए टर्नकी प्रणाली अपनाने और सूचीबद्ध निर्माण के माध्यम से कार्य निष्पादित कराने का निर्णय लिया गया था। निर्माण एजेंसियों को ई.एस.आई.सी. और उप ठेकेदारों को निर्माण एजेंसियों द्वारा दिए गए मूल्य में अन्तर के सम्बन्ध में ई.एस.आई.सी. ने बताया कि ठेका अनुबन्ध में निर्माण एजेंसियों को उपचित बचतों, यदि कोई हो, को ई.एस.आई.सी. को देने का प्रवाधान नहीं किया गया था और तदनुसार पहले ही हस्ताक्षरित ठेका अनुबन्ध के अनुसार पहले ही सौंपे गए कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना जारी रखा गया था। ई.एस.आई.सी. को बचतें देने के लिए मानक ठेका अनुबन्ध बाद में आरम्भ किए गए कार्यों के लिए लागू किया गया है। पी.एम.डी. के मामले में, ई.एस.आई.सी. ने बताया कि उसके पास पर्याप्त संख्या में स्टाफ नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निक्षेप कार्य प्रणाली में कमियां जैसे समय अधिधाव, लागत अधिधाव आदि टर्नकी आधार पर ठेका देने की नई प्रणाली में अब भी विद्यमान हैं। विभिन्न एजेंसियों को विभिन्न कार्य सौंपने का कोई औचित्य बताया नहीं गया था। ई.एस.आई.सी. को बचतें देने के लिए निर्माण एजेंसियों के साथ मानक ठेका अनुबन्ध का संशोधन सिद्ध करना है कि या तो पर्याप्त विधिवत सचेतना नहीं बरती गई थी अथवा ई.एस.आई.सी. द्वारा परिकल्पित अनुमानित लागत गलत थी। परिणामस्वरूप, ई.एस.आई.सी. प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका था और इस प्रकार ई.एस.आई.सी. के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला गया।

2.9 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति-विलम्ब तथा परियोजनाओं की लागत की अधिकता

ई.एस.आई.सी. द्वारा प्रदत्त अभिलेखों तथा ब्यौरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं विलम्बों तथा लागत की अधिकता द्वारा ग्रसित थीं। इन मेडिकल कॉलेजों में समय अधिधावों, मूल लागत, संशोधित लागत और लागत अधिधाव आदि की स्थिति अनुबंध-VII तथा अनुबंध-VIII में दी गई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- आरम्भ की गई सभी चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं, रोहिणी में डेन्टल कॉलेज और पीजीआई अयानवरम चेन्नई को छोड़कर, अनुसूची से

पीछे थीं। इन परियोजनाओं को एक वर्ष तथा दो माह से चार वर्ष तथा नौ माह के बीच विस्तार प्रदान किए गये थे। भुवनेश्वर का कार्य स्थगित किया गया था।

- विलम्बों के कारण प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब, स्थान बदलने में देरी अधियोग अधीन भवन के भागों को सौंपने में विलम्ब आदि को आरोप्य थे।
- सभी परियोजनाओं की कुल लागत `8611.94 करोड़ से `11997.15 करोड़ तक संशोधित की गई थी, परिणामस्वरूप, विभिन्न कारणों से हुए विलम्ब के कारण लागत `3385.22 करोड़ सीमा से अधिक हो गई थी, जैसा ऊपर दर्शाया गया ।

यह दर्शाता है कि ई.एस.आई.सी. ने कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी ताकि कार्यों का समय से समापन/निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न परियोजनाओं में विशाल लागत अधिधाव की बढ़ोतरी हुई।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि उन्होंने कार्यों की निगरानी करने के लिए सरकारी निर्माण एजेंसियां (पीएसयू) नियुक्त की थीं। फिर वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरिंग परामर्शी कार्य और गुणवत्ता कायम रखने के लिए वास्तुकार तथा गुणवत्ता लेखापरीक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी। ई.एस.आई.सी द्वारा निर्माण एजेंसी/वास्तुकार के साथ मासिक बैठको के माध्यम से और वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से निगरानी की गई थी। इस प्रकार ई.एस.आई.सी. ने सीमित तकनीकी जनशक्ति के बावजूद परियोजनाओं की निगरानी की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलम्ब के कारण अग्रिम योजनन से प्रत्याशित थे और ई.एस.आई.सी. द्वारा नियमित निगरानी के बावजूद परियोजना विलंबों तथा भारी लागत वृद्धि से ग्रसित थी।

केस स्टडी-2: पीजी मेडिकल कॉलेज, बसई दारापुर, नई दिल्ली में अपव्ययी खर्च:-

ई.एस.आई.सी. ने, बसईदारापुर पीजी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के निर्माण का निर्णय किया। शैक्षणिक सत्र 2009-10 से पीजीआई पाठ्यक्रम आरम्भ करने के उद्देश्य से, निगम ने वर्तमान संरचनाओं के नवीकरण तथा पुनरुद्धार द्वारा भण्डार क्षेत्र/डीएमडी (डायरेक्टर, मेडिकल डीपो) ब्लॉक में पीजी पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव किया। पुराने डीएमडी ब्लॉक के नवीकरण/पुनरुद्धार का कार्य `6.91 करोड़ की लागत पर नामांकन आधार पर गै. यूपीआरएनएनएल को आबंटित किया गया था। कार्य जून 2009 में आरम्भ हुआ था और सितम्बर 2009 में समाप्त हुआ था। लेखापरीक्षा ने देखा कि नवीकृत डीएमडी ब्लॉक को नए ब्लॉक का निर्माण आरम्भ करने के लिए गिराया गया था। इसके अलावा पीजीआई पाठ्यक्रम, जो 2011-12 से आरम्भ किए जाने को प्रस्तावित थे, वास्तव में शैक्षणिक सत्र 2009-10 से आरम्भ किए गए थे। इस प्रकार नवीकरण पर सम्पूर्ण खर्च अपव्यय हो गया था।

मंत्रालय ने बताया, (अगस्त 2015) कि आरम्भिक स्थान पीजी पाठ्यक्रम समायोजित करने के लिए बनाया गया था, जो एमसीआई मार्गनिर्देशों के अनुसार अनिवार्य था। चूंकि कालेज का निर्माण कार्य, प्रस्तुत योजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब के कारण, आरम्भ नहीं किया जा सका था। इसलिए पीजी संकाय के लिए स्थान बनाने के लिए, डीएमडी ब्लॉक को नवीकृत किया गया था। डीएमडी ब्लाक, जहाँ नए वार्ड ब्लॉक बनाए जाने थे, को गिराने से पूर्व, नए निर्मित शैक्षिक ब्लॉक के लिए भूतल में वैकल्पिक स्थान बनाया गया था। मंत्रालय का उत्तर कि, पीजीआई पाठ्यक्रम चलाने के लिए नवीकृत डीएमडी ब्लॉक गिराने से पूर्व वैकल्पिक स्थान बनाया गया था, दर्शाता है कि बेहतर योजना के द्वारा, नवीकरण पर व्यय का परिहार किया जा सकता था।

2.10 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं का वित्तीय प्रभाव

ई.एस.आई.सी. को आईपी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बनाया गया था। मेडीकल कॉलेजों की स्थापना करना, 100 वार्षिक एमबीबीएस प्रवेशों और 500 बिस्तर संलग्न अस्पताल के साथ लगभग `800 करोड़⁹ प्रति मेडिकल कॉलेज के

⁹ 28 जनवरी 2014 को आयोजित 161 वीं बैठक में ईएसआईसी निगम को प्रस्तुत किया।

एक समय व्यय और संस्थानों को चलाने के लिए लगभग `180 से `200 करोड़ प्रति वर्ष की आवर्ती लागत सहित, एक पूंजीगत गहन योजना है।

पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि (सीसीआरएफ) की स्थापना उनसे संलग्न स्टाफ क्वार्टरों के साथ-साथ, भवनों की खरीद, अस्पतालों/औषधालयों, अन्य मेडिकल संस्थानों तथा कार्यालयों के निर्माण पर व्यय पूरा करने के लिए, की गई थी। ई.एस.आई.सी. और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार अंशदान (वर्तमान में एक प्रतिशत) आय का कुछ प्रतिशत पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि को अन्तरित किया जाता है। इसआईसी ने एक प्रतिशत वार्षिक अन्तरण के अतिरिक्त 2009-10 से 2013-14 के दौरान सीसीआरएफ को वेशी से `16914 करोड़¹⁰ भी अन्तरित किया था। 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं पर व्यय उपलब्ध अधिशेष/सीसीआरएफ से अन्तरण से पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं पर पूंजीगत वचनबद्धता में 31 मार्च 2015 को `8611.49 करोड़ से `11997.15 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी। `11997.15 करोड़ की संशोधित लागत के प्रति ई.एस.आई.सी. ने 31 मार्च 2015 तक 21 परियोजनाओं पर `5955.03 करोड़ का व्यय किया था। 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध निधि का सार अनुबन्ध-IX में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

- परियोजना की लागत 2 से 12 बार संशोधित की गई थी। लगातार संशोधनों के कारण सभी परियोजनाओं में विलम्बों के कारण, डीएसआर तथा गैर डीएसआर दरों में परिवर्तन थे।
- 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं पर `5955.03 करोड़ का कुल व्यय करने के बाद भी, कोई भी परियोजना (रोहिणी तथा अयानवरम की दो परियोजनाओं को छोड़कर) भौतिक रूप से पूर्ण नहीं हुई थी और इन परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए ई.एस.आई.सी. को `6042.12 करोड़ (31 मार्च 2015 को) की अतिरिक्त देयता खर्च की जानी अपेक्षित है।

¹⁰ 2009-10 में `5000 करोड़, 2012-13 में `3000 करोड़ तथा 2013-14 में `8914 करोड़

इस प्रकार ई.एस.आई.सी. की आय, जो लाभार्थियों को चिकित्सा तथा नकद लाभ प्रदान करने के, सारभाग कार्य पर खर्च की जानी अपेक्षित थी, चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं पर खर्च की गई थी, जो अपूर्ण रहीं।

2.11 डाक्टरों की कमी को पूरा करने की योजना की प्रभावकारिता

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं स्थापित करने का उद्देश्य, ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषधालयों के लिए चिकित्सा तथा अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ प्राप्त करना और योजना के अन्तर्गत दी गई सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारना था। ई.एस.आई.सी. निगम ने 17 जुलाई 2007 को आयोजित अपनी 139वीं बैठक में निर्णय किया कि डाक्टरों तथा अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए ई.एस.आई.सी. को अपने स्वयं के मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 139वीं बैठक में ई.एस.आई.सी. अस्पतालों में जनशक्ति की कमी से सम्बन्धित कोई कार्यसूची मद नहीं थी। बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार अध्यक्ष ने टिप्पणी की, कि ई.एस.आई.सी. अस्पतालों में डाक्टरों तथा अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी थी जिसने आईपी को दी गई सेवाओं को प्रभावित किया है। अध्यक्ष ने आगे उल्लेख किया कि पर्याप्त मेडिकल/पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई.एस.आई.सी. के अपने स्वयं के मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण स्कूल और स्नातकोत्तर शिक्षण सुविधाएं होनी चाहिए और इस संबंध में कार्यवाई आरम्भ करने के लिए महानिदेशक को निर्देश दिया। महानिदेशक, ई.एस.आई.सी. को निगम की अगली बैठक में इस विषय पर विस्तृत तथा व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। तथापि डीजी, ई.एस.आई.सी. द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, सभी सम्भावित स्थानों पर, सभी प्रकार के कॉलेज/स्कूलों, जो एमसीआई प्रतिमानों के अनुसार ई.एस.आई.सी. के नेटवर्क के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में स्थापित किए जा सकते हैं, की पहचान करने के लिए एक सलाहकार (मै. मेडिसिस प्रोजेक्ट्स कन्सल्टेंट्स प्रा.लि.) को नियुक्त किया था। तथापि निगम ने, चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं आरम्भ करने से पूर्व, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया था।

2.11.1 ई.एस.आई.सी. में 31 दिसम्बर 2014 को डाक्टरों/पैरा मेडिकल स्टाफ की संस्वीकृत संख्या तथा तैनात मानव शक्ति।

ई.एस.आई.सी. प्रतिमानों के अनुसार, अस्पतालों का स्टाफ, निर्धारण की रीति, बिस्तर संख्या और प्रदान की जा रही विशेषज्ञता सेवाओं पर आधारित है। निम्न तालिका 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान डॉक्टरों की संस्वीकृत संख्या, तैनात व्यक्तियों और रिक्तियों में सम्पूर्ण वृद्धि दर्शाती है।

वर्ष	डॉक्टरों की संस्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्ति	पूर्व वर्षों से संस्वीकृत संख्या में वृद्धि	रिक्ति	रिक्ति(प्रतिशत में)
2008-09	1397	931	--	466	33
2009-10	1707	1113	310	594	35
2010-11	2050	1269	343	781	38
2011-12	2598	1690	548	908	35
2012-13	2758 ¹¹	1930 ¹²	160	828	30
2013-14	3040	1937	282	1103	36

2008-14 की अवधि के दौरान, डॉक्टरों की संस्वीकृत संख्या 1397 से 3040 तक बढ़ गई। इस अवधि के दौरान तैनात व्यक्तियों में भी 931 से 1937 तक की वृद्धि देखी गई थी। तथापि, यह देखा गया था कि 2012-13 में ई.एस.आई.सी. अस्पतालों में 2180 डॉक्टरों की संस्वीकृत संख्या के प्रति (मेडिकल कॉलेजों के लिए डाक्टरों के शिक्षण संकाय को छोड़कर) 1719 व्यक्ति तैनात थे। यह दर्शाता है कि ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषधालयों में डाक्टरों की वास्तविक रिक्ति 2012-13 के दौरान केवल 461 थी। इसके अलावा 2012-13 के दौरान 578 की शिक्षण संकाय की संस्वीकृत संख्या के प्रति, ई.एस.आई.सी. में 367 रिक्त पदों को छोड़कर 211 संकाय थे, जो 63 प्रतिशत बनता है।

यह दर्शाता है कि ई.एस.आई.सी., उन मेडिकल कॉलेजों के लिए, पर्याप्त संकाय/डाक्टर प्राप्त करने में समर्थ नहीं था, जो ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषधालयों में डाक्टरों की कमी को भरने के लिए खोले जा रहे थे।

¹¹ मेडिकल कॉलेजों के लिए डाक्टरों का 578 शिक्षण संकाय शामिल है।

¹² मेडिकल कॉलेजों के लिए डाक्टरों का 211 शिक्षण संकाय शामिल है।

2.11.2 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं से निकले चिकित्सा कार्मिकों को प्रवेश और उपलब्धता

ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेजों में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अन्तर्गत छात्रों को प्रवेश दिए गए थे:

- (i) अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू)- प्रत्येक मेडिकल संस्थान में कुल उपलब्ध सीटों का 15 प्रतिशत, अखिल भारतीय कोटा बनाया जाएगा।
- (ii) राज्य कोटा- ई.एस.आई.सी. की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के स्थान के आधार पर, बिना किसी सहायता के गैर अल्पसंख्यक संस्थाओं को लागू, सम्बन्धित राज्य की नीति के अनुसार राज्य सरकार कोटा बनाया जाएगा।
- (iii) ई.एस.आई.सी. प्रबन्धन कोटा- एआईक्यू तथा राज्य कोटा देने के बाद बाकी बची शेष सीटें, अखिल भारतीय प्रबन्धन कोटा तथा राज्य ई.एस.आई.सी. प्रबन्धन कोटा में विभक्त की जानी हैं।

2.11.3 यह सुनिश्चित करने कि ई.एस.आई.सी. की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं से उत्तीर्ण डाक्टर ई.एस.आई.सी. में सेवा करते हैं, के लिए ई.एस.आई.सी. संस्थाओं में सेवा करने का बॉण्ड, निगम द्वारा अपनी 145वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। बॉण्ड की शर्तों के अनुसार ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को पाँच वर्षों की निम्नतम अवधि के लिए ईएसआई संस्थान अर्थात् अस्पतालों तथा औषधालयों में सेवा करने का बॉण्ड प्रस्तुत करना पड़ता था। बाण्ड की अवधि पाँच वर्ष है और बॉण्ड की शर्तों का अननुपालन बाध्यता पूरी करने में विफलता के कारण 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित ₹ 7.5 लाख की राशि का भुगतान, शामिल करता है। ई.एस.आई.सी. ने पूर्व स्नातक तथा पीजीआई कॉलेजों के अतिरिक्त, रोहिणी में डेंटल कॉलेज तथा इंदिरा नगर में नर्सिंग कॉलेज भी आरम्भ किया था।

398 पूर्व स्नातक सीटों के साथ, राजाजीनगर (बेंगलौर, कर्नाटक), गुलबर्गा (कर्नाटक), के.के. नगर, चेन्नई (तमिलनाडु), जोका, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के चार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश आरम्भ किए थे, जैसा नीचे दर्शाया गया है।

मेडिकल कॉलेज का नाम	वर्ष में आरम्भ मेडिकल कॉलेज	यूजी पाठ्यक्रम के लिए भर्ती क्षमता	यूजी में भर्ती छात्रों की संख्या
ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, राजाजी नगर, बैंगलौर, कर्नाटक	2012-13	100	100
ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, के.के.नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	2013-14	100	99
ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा, कर्नाटक	2013-14	100	99
ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	2013-14	100	100

ई.एस.आई.सी. के परिचालन मेडिकल कॉलेजों से उपलब्ध होने को सम्भावित स्नातक डाक्टरों के संबंध में एक विश्लेषण किया गया था। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राजाजीनगर, बंगलौर 2017-18 से 100 डाक्टर प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने में समर्थ होगा और गुलबर्गा, के.के. नगर तथा जोका के अन्य कॉलेज 2018-19 से 300 डाक्टर प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेंगे। इसिलिए वर्ष 2018-19 से ई.एस.आई.सी. के परिचालन मेडिकल कॉलेजों द्वारा लगभग 400 डाक्टर प्रस्तुत होंगे।

ई.एस.आई.सी. ने 1200 स्नातक सीटों के साथ, 12 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण आरम्भ किया। ई.एस.आई.सी. में 31 मार्च 2013 को ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषधालयों में लगाने के लिए डाक्टरों के 461 पद रिक्त थे। यह दर्शाता है कि एक वर्ष के पास आउट ही उपलब्ध रिक्तियों से अधिक हो जाएंगे और भावी पास आउट ई.एस.आई.सी. के किसी उपयोग के नहीं होंगे, इसलिए चिकित्सा देखभाल सुधारने में सहयोग करने के योग्य नहीं होंगे। इससे चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की स्थापना का मूल प्रयोजन विफल हो जाएगा। यह दर्शाता है कि चिकित्सा कार्मिकों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए विधिवत सचेतना नहीं बरती गई थी और ई.एस.आई.सी. के मुख्य कार्यकलाप को किन्हीं स्पष्ट लाभों के बिना विशाल पूंजीगत लागत तथा आवर्ती लागतें खर्च की गई थीं।

2.11.4 सात ई.एस.आई.सी. चिकित्सा शिक्षा संस्थानों ने 2010-11 से 2013-14 तक पीजीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश आरम्भ किए थे। पाठ्यक्रम अवधि तीन वर्ष थी। भर्ती तथा उत्तीर्ण छात्रों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	कॉलेज का नाम	प्रवेश आरंभ का वर्ष	भर्ती छात्रों की संख्या	निकले छात्रों की संख्या
1.	पीजीआई, राजाजी नगर, कर्नाटक	2010-11	156	46
2.	पीजीआई, बसई दारापुर, नई दिल्ली	2011-12	59	20
3.	पीजीआई, के के नगर, तमिलनाडु	2011-12	53	21
4.	पीजीआई, जोका, कोलकाता	2011-12	10	4
5.	पीजीआई, मानिकतला, कोलकाता	2013-14	8	शून्य
6.	पीजीआई, अंधेरी, मुम्बई	2011-12	53	16
7.	पीजीआई, परेल, मुम्बई	2011-12	18	8

लेखापरीक्षा ने देखा कि ई.एस.आई.सी. ने 2013-15 के दौरान भिन्न कॉलेजों से उत्तीर्ण स्नातकोत्तर छात्रों की नियुक्ति के 107 प्रस्ताव जारी किए थे। जारी कुल 107 नियुक्ति आदेशों के प्रति केवल 15 चिकित्सा कार्मिकों (14 प्रतिशत) ने ज्वाइन किया था। यह दर्शाता है कि खाली पदों को भरने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने की रणनीति विफल हो गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि पीजी पास आउट को बॉण्ड की शर्तों का पालन करने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पालन नहीं किया था, को बॉण्ड राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इस प्रकार अपने स्वयं के प्रशिक्षित चिकित्सा कार्मिक विकसित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा देने का ई.एस.आई.सी. का उद्देश्य वास्तविक नहीं हुआ था।

2.11.5 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं चलाने की लिए प्रचालन लागत:

500 छात्रों के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम चलाने की अनुमानित लागत ₹ 55.50 करोड़ है। प्रति छात्र प्रति वर्ष औसत लागत (यदि 500 छात्र भर्ती किए जाते हैं) लगभग ₹ 11.10 लाख¹³ है। अध्ययन के साढ़े चार वर्ष और एक वर्षीय इन्टर्नशिप लगभग ₹ 61.0 लाख प्रति एमबीबीएस स्नातक, ई.एस.आई.सी. को खर्च करनी प्रत्याशित है। निगम की वित्तीय स्थिति एक निर्णायक विषय है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। चिकित्सा संस्थानों की निर्माण लागत के अतिरिक्त

¹³ ईएसआईसी निगम की 161वीं बैठक में प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा पर श्वेत पत्र के अनुसार

ई.एस.आई.सी. को सम्बद्ध अस्पतालों को चलाने के साथ इन मेडिकल कॉलेजों को चलाने का वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा।

2.12 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं से निर्गम

निगम ने 4 दिसम्बर 2014 को आयोजित अपनी 163वीं बैठक में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से बाहर होने का निर्णय लिया क्योंकि यह उसके प्रमुख कार्यों में नहीं था। इस प्रकार चिकित्सा तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए ई.एस.आई.सी. द्वारा अपनाई गई रणनीति पूर्णतया अप्रभावी थी और इस पर किया गया खर्च अपव्यय था। बाद में ई.एस.आई.सी. ने कुछ परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया।

अभिलेखों की संवीक्षा और ई.एस.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराई गई और सूचना से निम्नलिखित का पता चला:

- निगम के उचित निर्णय के लिए, 28 जनवरी 2014 को आयोजित निगम की 161वीं बैठक में, चिकित्सा शिक्षा पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था। निगम ने इन विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए अपने अध्यक्ष को प्राधिकृत किया था।
- समिति की रिपोर्ट पर 31 जुलाई 2014 को आयोजित निगम की 162वीं बैठक में चर्चा की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि चिकित्सा शिक्षा परियोजना को जारी रखने अथवा अन्यथा पर निर्णय, निगम की अगली बैठक में लिया जाएगा। इस बीच, चालू मेडिकल कॉलेजों के हस्तान्तरण की सम्भावनाओं पर केन्द्र/राज्य सरकारों के साथ चर्चा आयोजित की जानी चाहिए।
- ई.एस.आई.सी. ने भारत सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के साथ चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के हस्तान्तरण का मामला उठाया था जिन्होंने, पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2014 के द्वारा, उत्तर दिया कि ई.एस.आई.सी. से इन मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रण में लेना व्यवहार्य नहीं होगा। विकल्प में यह सुझाव दिया गया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन कॉलेजों का नियंत्रण लेने में संबंधित राज्य सरकारों से सहयोग की सम्भावना का पता करें।

- आगे महानिदेशक ई.एस.आई.सी. ने 05 सितम्बर 2014 को, सम्बन्धित राज्यों में स्थित मेडिकल कॉलेजों तथा सम्बद्ध चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं का नियंत्रण लेने के लिए, उनकी सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखा।
- इस संबंध में, 12 में से पांच राज्यों (राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल) ने दिसम्बर 2014 तक उत्तर दिया था परन्तु किसी भी राज्य से सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त नहीं हुई थीं।
- निगम ने, 4 दिसम्बर 2014 को आयोजित अपनी 163वीं बैठक में चिकित्सा शिक्षा से बाहर होने का निर्णय लिया, क्योंकि यह ई.एस.आई.सी. का प्रमुख कार्य नहीं था और अधिनियम की धारा 59वीं के उद्देश्य के पूरा होने की सम्भावना नहीं थी।
- श्रम मंत्रालय ने 13 मेडिकल कॉलेजों के संबंध में लिए गए, आगे के निर्णयों पर पीएमओ को सूचित किया (9 जनवरी 2015)। इनमें चिकित्सा शिक्षा से निर्गम, आगे प्रवेश नहीं, नए मेडिकल कॉलेज आरम्भ न करना, हस्तान्तरण के इच्छुक राज्य सरकारों को चालू मेडिकल कॉलेजों को सुपूर्द करना सरकारों जो कॉलेजों को लेने की इच्छुक नहीं थीं में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए श्रेष्ठता का केन्द्र स्थापित करना, शामिल किए गए। 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की सत्य एवं पूर्ण स्थिति के बारे में पीएमओ को सूचित न करने का कारण ई.एस.आई.सी. के अभिलेखों में नहीं था।
- तदन्तर ई.एस.आई.सी. ने, छात्रों एवं बीमाकृत व्यक्तियों के हितों की रक्षा हेतु उसकी 7 अप्रैल 2015 को आयोजित 165 वीं बैठक में मेडिकल शिक्षा परियोजनाओं के चालू पाठ्यक्रमों को चालू रखने का निर्णय किया।
- सचिव, एमओएल एण्ड ई ने पीएमओ को 25 मार्च 2015 को निम्नलिखित स्थिति सूचित की।
 - क्रमशः राजाजीनगर (बेंगलुरु), के के नगर (चेन्नई), तथा जोका (कोलकाता) स्थित तीन मेडिकल कॉलेज ई.एस.आई.सी. द्वारा चलाए जाने जारी रखे जाएंगे।

- फरीदाबाद (हरियाणा), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), तथा सनथ नगर, हैदराबाद (तेलंगाना) स्थित तीन मेडिकल कॉलेज ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने को प्रस्तावित थे, जिसकी विफलता में, ई.एस.आई.सी. उन्हें पी पी पी विधि/स्वयं अपने आप चलाएगा।
- गुलबर्गा (कर्नाटक) स्थित ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार द्वारा चलाने को प्रस्तावित था, जिसकी विफलता में पी पी पी विधि पर, ई.एस.आई.सी. द्वारा चलाए जायेंगे।
- अलवर (राजस्थान), मण्डी (हिमाचल प्रदेश), बिहटा, पटना(बिहार) और पारीपल्ली, कोल्लम (केरल) स्थित चार ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने प्रस्तावित थे, जिसकी विफलता में पी पी पी विधि पर ई.एस.आई.सी. द्वारा, जिसकी विफलता में परिसम्पत्तियाँ विपथित की जाएँ ।
- ई.एस.आई.सी. की इच्छा चालू एम.बी.बी.एस/बी डी एस/ पी जी पाठ्यक्रमों में प्रवेश चालू रखने की थी।
- बसई दारापुर, दिल्ली, में प्रस्तावित ई.एस.आई.सी. चिकित्सा शिक्षा परियोजना, आई पी के हित में होगी। इसे बेहतर विकसित देखभाल तथा सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट सुविधा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठता केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा।
- ई.एस.आई.सी. न तो किसी अन्य मेडिकल कॉलेज और न ही किसी नई चिकित्सा शिक्षा परियोजना की स्थापना करेगा।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि मेडिकल कॉलेज परियोजनाएं, 21 स्थानों पर ई.एस.आई.सी. द्वारा स्थापित की जानी प्रस्तावित थीं। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य केवल 12 स्थानों पर आरम्भ किया गया था। इन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति निम्नवत थी:

- क. ई.एस.आई.सी. का जोका, कोलकाता, के.के नगर, चेन्नई और राजाजीनगर, बेंगलुरु स्थिति ई.एस.आई.सी मेडिकल कॉलेजों को चलाना जारी रहा। मंत्रालय ने भी गुलबर्गा कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज को चलाने का निर्णय लिया था।
- ख. ई.एस.आई.सी. फरीदाबाद (हरियाणा) तथा सनथ नगर, हैदराबाद (तेलंगाना) के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों को चलाएगा।
- ग. संबंधित राज्य सरकारों ने पेरीपल्ली (केरल), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), बिहटा (बिहार) तथा मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेजों को लेने के लिए सहमती (सैद्धांतिक रूप से अथवा अन्यथा) दे दी थी।
- घ. बसई दारापुर, दिल्ली का प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज आईपी के हित में होगा और ई.एस.आई.सी. लाभार्थियों को बेहतर विकसित देखभाग तथा सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट सुविधा प्रदान करने के लिए, श्रेष्ठता केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा। अलवर के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पर निर्णय अभी अन्तिम किया जाना था।

इस प्रकार चिकित्सा शिक्षा परियोजना खण्ड जो आईपी अंशदान से आरम्भ किया गया था, से ई.एस.आई.सी. को बाहर होना पड़ा था। यह अविवेकी तथा दोषपूर्ण योजनन और आरम्भ से ही ई.एस.आई.सी. के शिथिल दृष्टिकोण के कारण हुआ था।

उपसंहार

- मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय खराब योजना थी और ई.एस.आई.सी. द्वारा कोई विधिवत सचेतना नहीं बरती गई थी।
- ई.एस.आई.सी. अस्पतालों/औषधालयों में मेडिकल/पैरा मेडिकल कार्मिकों की कमियों को पूरा करने के अन्य विकल्पों की तुलना में, मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवहार्यता निर्धारित करने का कोई संकल्पना पेपर/व्यवहार्यता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट नहीं थी।
- मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए चयनित स्थानों की संख्या, चिकित्सा कार्मिकों की आवश्यकता के अनुपातहीन थी। डाक्टरों तथा अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भावी आवश्यकता के पूरा करने हेतु आवश्यक कॉलेजों की संख्या को निर्धारित करने हेतु आवश्यक सचेतना, यदि कोई दिखाई गई थी, उपलब्ध नहीं थी।
- ई.एस.आई.सी. द्वारा स्थानों का चयन मनमाने ढंग तरीके से किया गया था तथा उन स्थानों को जिनमें कोई विद्यमान अस्पताल/औषधालय मेडिकल कॉलेजों के खोलने हेतु प्रत्यक्ष आवश्यकता ई.एस.आई.सी. मापदण्डों के अनुसार, नहीं थी को भी चुन लिया गया था।
- वास्तुशिल्पीय/निर्माण कार्य, बिना किसी न्यायपूर्णता/कारणों के मनोनित आधार पर किया गया था।
- वास्तुशिल्पीय सलाहकारों से अनुबन्धों के खण्डों में समानता न होने के कारण ई.एस.आई.सी. ₹24.68 करोड़ की अतिरिक्त सलाहकार फीस का भुगतान करने का उत्तरदायी था।
- अधिकांश चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं में समय तथा लागत अधिक हो गये थे।
- केवल 14 प्रतिशत सफल पीजीआई छात्रों ने ई.एस.आई.सी. अस्पताल में प्रवेश किया, जिसने दर्शाया की खाली पदों को भरने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने की रणनीति विफल हो गई।

- इस उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय केवल छुपी हुई हानियों और आगे की देयताओं को सीमित करने का प्रयास था।

ई.एस.आई.सी. को अपने प्रमुख कार्यकलापों पर केन्द्रित होना चाहिए और विस्तृत तथा गहन विश्लेषण किए बिना ऐसी पूंजीगत और आवर्ती लागतों वाली परियोजनाएं आरम्भ नहीं की जानी चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 नवम्बर 2015



(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 20 नवम्बर 2015



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-I
(पैरा 1.3 देखें)

22 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	कॉलेज का नाम
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज सनथ नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार
3.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज बसईदरापुर, दिल्ली
4.	मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा
5.	मेडिकल कॉलेज, मण्डी, हिमाचल प्रदेश
6.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, कर्नाटक
7.	मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान गुलबर्ग, कर्नाटक
8.	मेडिकल कॉलेज पेरिपेल्ली, कोल्लम, केरल
9.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान
10.	मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
11.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज, के.के.नगर, चैन्नई, तमिलनाडु
12.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज, जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
13.	मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा
14.	डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
15.	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली
16.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं नर्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर, बेंगलूरु, कर्नाटक
17.	पी.जी.आई.एम.एस.आर अन्धेरी, पूर्वी मुम्बई, महाराष्ट्र
18.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र
19.	डेन्टल कॉलेज पांडू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश
20.	पी.जी.आई.एम.एस.आर, भानिकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
21.	पी.जी.आई.एम.एस.आर, आयानवरम, चैन्नई, तमिलनाडु
22.	डेन्टल कॉलेज वाशी, नवी मुम्बई

अनुबंध-11
(पैरा 2.3 देखें)

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं शुरू करने के लिए व्ययहार्यता रिपोर्ट में प्रस्तावित संभावित स्थल

क्र.सं.	सलाहकार के अनुसार स्थल/स्थान	ई.एस.आई.सी. द्वारा चयनित स्थल	सलाहकार की टिप्पणी
1.	ई.एस.आई. अस्पताल, बसईधारापुर, रिंग रोड, दिल्ली	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज बसईधारापुर	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
2.	ई.एस.आई.अस्पताल ओखला दिल्ली	-	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
3.	ई.एस.आई.अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
4.	ई.एस.आई. अस्पताल, झिलमिल, दिल्ली	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
5.	ई.एस.आई. अस्पताल, भारत नगर लुधियाना, पंजाब	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
6.	ई.एस.आई. अस्पताल, एन एच-2, मथुरा रोड बल्लबगढ़ (हरियाणा) एन.सी.आर. दिल्ली	-	नर्सिंग विद्यालय
7.	ई.एस.आई अस्पताल सेक्टर-8 मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
8.	ई.एस.आई. अस्पताल सेक्टर 24, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	-	नर्सिंग डेन्टल कॉलेज
9.	ई.एस.आई. अस्पताल, पांडु नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर/कानपुर	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
10.	ई.एस.आई. अस्पताल, सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-	नर्सिंग विद्यालय
11.	ई.एस.आई. अस्पताल हलवाई की बगीची, आगरा, उत्तर प्रदेश	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
12.	ई.एस.आई. अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
13.	ई.एस.आई अस्पताल, झालावार रोड, कोटा, राजस्थान	-	बिस्तरों की संख्या बढ़ा कर 120 करना
14.	ई.एस.आई. अस्पताल, बज-बज कोलकाता	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
15.	ई.एस.आई. अस्पताल, जोका, ठाकुरपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पी.जी.आई. एम एस आर एवं मेडिकल कॉलेज जोका	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

16.	ई.एस.अस्पताल पी.ओ कमारहटी, कोलकाता-58	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
17.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल, नाडिया, कल्याणी	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
18.	ई.एस.आई सामान्य अस्पताल, बाल्टीकुड़ी, पी.ओ. बांकरा, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
19.	ई.एस.आई. अस्पताल, हावड़ा, मोउसा बल्ली, बेलूर, हावड़ा	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
20.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल, पी.ओ जादबोरिया, उलूबेरिया, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
21.	ई.एस.आई. अस्पताल, बन्देल जिला, हुगली, पश्चिम बंगाल	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
22.	ई.एस.आई. अस्पताल, सेरमापुर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
23.	ई.एस.आई. अस्पताल, गोरहटी, हुगली, पश्चिम बंगाल	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
24.	ई.एस.आई. अस्पताल ग्राम: कन्यापुर पी ओ आसनसोल, जिला बुर्दवान, पश्चिम बंगाल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
25.	ई.एम.आई अस्पताल, मिदान नगर, दुर्गापुर 6, बुर्दवान, पश्चिम बंगाल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
26.	ई.एस.आई. अस्पताल, मैदान, धनवाद, झारखण्ड	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
27.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल एवं टी.बी. अस्पताल, नन्दा नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
28.	ई.एस.आई. अस्पताल, III ब्लॉक राजाजी नगर बैंगलूर, कर्नाटक	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
29.	ई.एस.आई. अस्पताल, एच ए एल स्टेज- II, इंदिरा नगर	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं नर्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर बैंगलूर	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
30.	ई.एस.आई. अस्पताल के आर एस रोड, मैसूर-2, कर्नाटक	-	नर्सिंग विद्यालय
31.	ई.एस.आई. अस्पताल, आयानावरम,	पी.जी.आई.एम.एस.आर.	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

	चेन्नई, तमिलनाडु	आयानवरम, चेन्नई	
32.	ई.एस.आई. अस्पताल, के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, के.के. नगर चेन्नई	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
33.	ई.एस.आई. अस्पताल, वराथाजापुरम, सिंगानल्लूर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
34.	ई.एस.आई. अस्पताल, ठाठेनी, मदुरई, तमिलनाडु	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
35.	ई.एस.आई.अस्पताल, सनथनगर हैदराबाद, तेलंगाना	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज सनचनगर, हैदराबाद	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
36.	ई.एस.आई. अस्पताल, नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
37.	ई.एस.आई. अस्पताल विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
38.	ई.एस.आई. अस्पताल, विशाखापट्टनम (विजाग), आन्ध्र प्रदेश	-	डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग
39.	ई.एस.आई. अस्पताल, सिरपुर, कागज़नगर, आन्ध्र प्रदेश	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
40.	मॉडल अस्पताल कोल्लम पूर्वी गांव, असरामम, कोल्लम, केरल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
41.	ई.एस.आई. अस्पताल, रंडेमेडा पाकुडी, तिरुअनन्तपुरम, केरल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
42.	ई.एस.आई.अस्पताल, एजूकोन गांव एजूकोन, कोल्लम, केरल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
43.	ई.एस.आई. अस्पताल, पेरीपल्ली, कोल्लम, केरल	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज
44.	ई.एस.आई. अस्पताल, फेरोक, कालीकट, केरल	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
45.	ई.एस.आई. अस्पताल, अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र	पी.जी.आई.एम.एस.आर. अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
46.	ई.एस.आई. अस्पताल, कांटीवली, मुम्बई, महाराष्ट्र	-	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
47.	ई.एस.आई. अस्पताल ठाणे वागले एस्टेट रोड, ठाणे (प.), महाराष्ट्र	-	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

48.	ई.एस.आई. अस्पताल, वाशी, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	डेन्टल कॉलेज वाशी नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	पी.जी.आई.एवं नर्सिंग
49.	ई.एस.आई. अस्पताल, मुलुण्ड, महाराष्ट्र	-	पी.जी.आई.एवं नर्सिंग
50.	ई.एस.आई. अस्पताल, एम.जी.एम. मुम्बई, महाराष्ट्र	पी.जी.आई.एम.एस.आर परेल मुम्बई	पी.जी.आई.एवं नर्सिंग
51.	ई.एस.आई. अस्पताल, वर्ली मुम्बई, महाराष्ट्र	-	पी.जी.आई.एवं नर्सिंग
52.	ई.एस.आई. अस्पताल, उल्हासनगर, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय
53.	ई.एस.आई अस्पताल, अनुध कैम्प, पुणे, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
54.	ई.एस.आई. अस्पताल, प्लाट सं. 16, चिखलथाणा, औरंगाबाद	-	नर्सिंग विद्यालय
55.	ई.एस.आई. अस्पताल, प्लाट सं. सी एस 30, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय
56.	ई.एस.आई. अस्पताल, एफ.पी.सं.65, होतगी रोड, शोलापुर, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय
57.	ई.एस.आई. अस्पताल, प्लॉट सं.51 नासिक, महाराष्ट्र	-	नर्सिंग विद्यालय
58.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल बापूनगर, अहमदाबाद, गुजरात	-	पी.जी.आई. एवं नर्सिंग
59.	ई.एस.आई. छाती रोग अस्पताल, नारोदा, गुजरात	-	मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग
60.	ई.एस.आई. सामान्य अस्पताल व्यायामस्थल गांव, बड़ौदा, गुजरात	-	नर्सिंग विद्यालय अथवा महाविद्यालय

ई.एस.आई.सी द्वारा बिहटा (पटना-बिहार), फरीदाबाद, हरियाणा, मण्डी (हिमाचल प्रदेश), गुलबर्ग (कर्नाटक), अलवर (राजस्थान), मानिकटाला (कोलकाता-पश्चिम बंगाल), तथा भुवनेश्वर (ओडिशा) पर अन्य सात स्थलों का चयन किया गया था परन्तु सलाहकार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था।

अनुबंध-III
(पैरा 2.4 देखें)

वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरिंग सलाहकारों और उन्हें किए गए भुगतान के विवरण

वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरिंग (ए एवं ई) एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	किया गया कुल भुगतान (` लाख में)
1. मै. डिजाईन एसोसिएट्स इंक	1. पी.जी.आई.एम.एस.आर. परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	519.25
	2. पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजीनगर, कर्नाटक	565.91
	3. पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं नार्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर, बेंगलूरु कर्नाटक	135.28
	4. पी.जी.आई. एम.एस.आर. अन्धेरी पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र	475.68
	5. पी.जी.आई. एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, सनथनगर, हैदराबाद, तेलंगाना	1020.33
	6. डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	356.41
	7. पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज बसईधारापुर, दिल्ली	876.80
	8. मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद हरियाणा	2389.41
	कुल	6339.07
2. मै. एनार्क कंसल्टेंट प्रा.लि.	1. पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	979.10
	2. पी.जी.आई.एम.एस.आई. मानिकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	3,38.58
	कुल	1317.68

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

3. मै. मुकेश एण्ड एसोसिएट्स	1. पी.जी.आई.एम.एस.आर आयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	722.11
	2. मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	1148.83
	3. पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज, के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	1212.75
	4. मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा	853.60
कुल		3937.29
4. मै. सथपथि एसोसिएट्स	1. डेन्टल कॉलेज, पांडू नगर, उत्तर प्रदेश	11.50
कुल		11.50
5. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	मेडिकल कॉलेज, पेरिपल्ली, कोल्लम, केरल	3,28.33
कुल		328.33
6. मै.डी.डी.एफ.कंसलटेंट प्रा.लि.	1. मेडिकल कॉलेज, मण्डी, हिमाचल प्रदेश	1517.74
	2. मेडिकल कॉलेज बिहार, बिहटा,पटना, बिहार	1280.38
कुल		2798.12
7. स्काईलाईन आर्किटेक्ट प्रा.लि.	1. मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, गुलबर्ग कर्नाटक	1653.10
	2. मेडिकल कॉलेज, अलवर राजस्थान	994.40
कुल		2647.5
8. हास्पिटेक-एमजीएमटी कंसलटेंट प्रा.लि.	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली	2.75
कुल जोड़		17382.24

अनुबंध-IV
(पैरा 2.7 देखें)

आई.पी. और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के विवरण

क्र.सं.	स्थल का नाम	आई.पी. की संख्या	ई.एस.आई. प्रतिमानों ¹ के अनुसार अपेक्षित आई.पी.	कमी	मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	शिक्षण अस्पताल बिस्तर क्षमता एवं अधिभोग ²
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज सनथ नगर, हैदराबाद, तेलंगाना	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	31.37	310/ 97%
2.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	70,000	4,00,000	3,30,000	25.00	निर्माणाधीन
3.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज बसईंधारापुर, दिल्ली	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	25.52	600/ 88%
4.	मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	41.42	बादशाह खान अस्पताल के साथ समझौता
5.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	1,100	4,00,000	3,98,900	36.29	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस क्षेत्रीय अस्पताल के साथ समझौता
6.	मेडिकल, डेंटल नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान गुलबर्ग, कर्नाटक	25,000	4,00,000	3,75,000	55.66	सरकारी जिला अस्पताल गुलबर्ग के साथ समझौता
7.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, कर्नाटक	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	14.60	318/ 82%

¹ (i) 100 बिस्तर के लिए- 25000 आई.पी. (ii) 150 बिस्तर के लिए- 100000 आई.पी. (iii) 200 बिस्तर के लिए- 150000 आई.पी. (iv) 250 बिस्तर के लिए-200000 आई.पी. (v) 300 बिस्तर के लिए-250000 आई.पी. (vi) 350 बिस्तर के लिए-300000 आई.पी. (vii) 400 बिस्तर के लिए- 350000 आई.पी. (viii) 500 बिस्तर के लिए-400000 आई.पी. (ix) 600 बिस्तर के लिए- 500000 आई.पी.

² 2009-10 में अधिकार में बिस्तर

8.	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम, करेल	40,000	4,00,000,	3,60,000	29.99	100/ 68%
9.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान	25,000	4,00,000	3,75,000	29.43	निर्माणाधीन
10.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	20.00	330/ 70%
11.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	36.00	506/ 51%
12.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	4,00,000 से अधिक	4,00,000	शून्य	21.52	300/ 77%
13.	मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा	97,691	4,00,000	47,671		परियोजना `700 करोड़ पर स्वीकृत की गई थी परंतु `13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात परियोजना कम आई पी जनसंख्या के कारण अस्थगित कर दी गई थी।
14.	डेन्टल कॉलेज नचाराम हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	4,00,000	25,000	शून्य	8.62	200/ 75%
15.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं नर्सिंग कॉलेज, इन्दिरा नगर, कर्नाटक	62,225	25,000	शून्य	1.57	270/ 58%
16.	पी.जी.आई.एम.एस.आर परेल मुम्बई, महाराष्ट्र	66,265	25,000	शून्य	8.40	330/ 31%
17.	डेन्टल कॉलेज रोहिणी, दिल्ली	1,83,357	25,000	शून्य	9.88	300/ 53%

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

18.	पी.जी.आई.एम.एस.आर, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र	*3	25,000	शून्य	10.74	330/ 54%
19.	पी.जी.आई.एम.एस.आर आयानवरम, चैन्नई तमिलनाडु	14,10,242	25,000	शून्य	15.08	616/ 31%
20.	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	97,539	25,000	शून्य	14.92	144/ 23%
21.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. मानिकटाला, कोलकाता पश्चिम बंगाल	1,92,224	25,000	शून्य	2.62	500/ 76%

स्रोत: सूचना ई.एस.आई.सी द्वारा दी गई

³ सूचना प्रदान नहीं की गई।

अनुबंध-V
(पैरा 2.7 देखें)

नियामक निकायों से प्राप्त अनुमोदन की स्थिति

क्र.सं.	स्थल का नाम	क्या निम्नलिखित से अनुमोदन प्राप्त किया गया था			क्या चालू हैं
		एम.सी.आई.	डी.सी.आई.	एन.सी.आई.	
1.	पी.ई.आई.एम.एस आर एवं मेडिकल कॉलेज, सनथ नगर, हैदराबाद तेलंगाना	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
2.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
3.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज बसईदारापुर, दिल्ली	पी.जी.-हां यू.जी.-अभी एम.सी.आई को आवेदन करना है			यू.जी-अभी शुरू होना है पी.जी.-2011-12 में शुरू हो गया
4.	मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
5.	मेडिकल कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
6.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, गुलबर्ग कर्नाटक	हां		हां	यू.जी-2013-14 में शुरू हो गया
7.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, राजाजी नगर, कर्नाटक	हां		हां	यू.जी.-2012-13 में शुरू हो गया पी.जी.-2010-11 में शुरू हो गया
8.	मेडिकल कॉलेज, परीपल्ली, कोल्लम, केरल	एम.सी.आई को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
9.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान	उ.न			अभी शुरू होना है

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

10.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	हां			यू.जी.-2013-14 में शुरू हुआ। पी.जी.-2011-12
11.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	एम.सी.आई. को आवेदन किया गया			अभी शुरू होना है
12.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. मेडिकल कॉलेज, जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	हां			यू.जी.-2013-14 में शुरू हुआ। पी.जी.-2011-12
13.	मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा	परियोजना `700 करोड़ की अनुमानित लागत पर शुरू हुई, परन्तु `13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् परियोजना कम आई.पी. जनसंख्या के कारण आस्थगित कर दी गई।			
14	डेन्टल कॉलेज, नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	-	उपलब्ध नहीं	-	उपलब्ध नहीं
15	नर्सिंग कॉलेज, इन्दिरा नगर, कर्नाटक			हां	एन.सी.-2013-14 में शुरू हुआ
16	पी.जी.आई.एम.एस.आर. पारेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	हां			पी.जी.-2011-12 में शुरू हुआ
17	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली		हां		डी.सी.-सितम्बर 2010 में शुरू हुआ
18	पी.जी.आई.एम.एस.आर. अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र	हां			पी.जी. 2011-12 में शुरू हुआ
19	पी.जी.आई.एम.एस.आर. आयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	उ.न			अभी शुरू होना है
20	डेन्टल कॉलेज, पांडूनगर, कानपुर, उत्तर-प्रदेश		उ.न		अभी शुरू होना है।
21	पी.जी.आई.एम.एस.आर, मानिकटाला, पश्चिम बंगाल	हां			पी.जी.-2013-14 में शुरू हुआ।

अनुबंध-VI
(पैरा 2.8 देखें)

कार्य एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31.03.2015 को परियोजना की लागत (करोड़ में)	संस्वीकृति की तिथि	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य सौंपने का आधार (निविदा अथवा नामांकन)
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर चेन्नई, तमिलनाडु	494.62	18.03.2009	मै. एन बी सी सी लि	नामांकन
2.	मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	580.57	27.1.2010	मै. एन बी सी सी लि	नामांकन
3.	पी.जी.आई. एम.एस आर एवं मेडिकल कॉलेज, बसईदारापुर, दिल्ली	1470.00	12.06.2009	मै.यू पी आर एन एन एल	नामांकन
4.	पी.जी.आई.एम.एस.आर, मेडिकल कॉलेज, सनथनगर, हैदराबाद, तेलंगाना	694.72	30.07.2009	मै.यू पी आर एन एन एल	नामांकन
5.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	792.06	28.07.2009	मै. एन बी सी सी लि.	नामांकन
6..	मेडिकल कॉलेज परीदाबाद हरियाणा	758.61	28.07.2009	मै. यू पी आर एन एन ल	नामांकन
7.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	924.82	26.05.2009	मै. एन बी सी सी लि.	नामांकन
8.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान कॉलेज गुलबर्गा, कर्नाटक	1613.00	11.05.2010	मै. एच एस सी एल	नामांकन
9.	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज राजाजीनगर, कर्नाटक	996.15	30.07.2009	मै. यू पी आर एन एन एल	नामांकन

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

10	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम, केरल	540.00	29.10.2009	में. एच एल एल लि.	नामांकन
11.	मेडिकल कॉलेज अलवर, राजस्थान	861.45	23.06.2011	में. यू पी आर एन एन एल	नामांकन
12.	पी.जी.आई.एम.एसआर. एवं मेडिकल कॉलेज जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	634.80	29.07.2009	में. ई पी आई लि.	नामांकन
13.	मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर ओडिशा	परियोजना `700 करोड़ के अनुमान पर संस्वीकृत की गई थी, परन्तु `13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् आई.पी. जनसंख्या के कारण आस्थगित कर दी गई थी।			
14.	डेंटल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	253.94	31.07.2009	में. यू पी आर एन एन	नामांकन
15.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं नर्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर, कर्नाटक	78.84	12.09.2010	में.एच एस सी एल	नामांकन
16	पी.जी.आई. एम.एस.आर परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	300.34	19.12.2008	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
17	डेंटल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली	22.65	05.02.2010	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
18	पी.जी.आई.एम.एस.आर.अन्धेरी पूर्व मुम्बई, महाराष्ट्र	260.39	19.12.2008	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
19	पी.जी.आई.एम.एस.आर आयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	342.96	15.05.2009	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
20	डेंटल कॉलेज पाण्डू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	265.52	27.07.2009	में.एन.बी.सी. सी लि.	नामांकन
21	पी.जी.आई.एम.एस.आर मानिकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	111.71	11.06.2009	में.ई.पी.आई. लि.	नामांकन
	कुल	11997.15			

अनुबंध-VII
(पैरा 2.9 देखें)

परियोजनाओं की भौतिक स्थिति के विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति की तिथि	शुरू होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2015 को विलम्ब पर विस्तार
1.	पी.जी.आई.एम. एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर चेन्नई, तमिलनाडु	18.3.2009	01.04.2009	19.02.2012 (31.12.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं एक मास
2.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	27.1.2010	05.08.2009	04.08.2011 (31.03.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं सात मास
3.	पी.जी.आई.एम. एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, बसईधारापुर, दिल्ली	12.6.2009	1.7.2009	30.06.2011 (31.12.2014 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं छः मास
4.	पी.जी.आई.एम. एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज, सनथ नगर, हैदराबाद, तेलंगाना	30.7.2009	16.8.2009	15.8.2011 (30.6.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं नौ मास
5.	मेडिकल कॉलेज, बिहटा, पटना, बिहार	28.7.2009	25.6.2009	24.06.2011 (31.12.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं नौ मास
6.	मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद (हरियाणा)	28.7.2009	16.8.2009	15.08.2011 (31.3.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं सात मास
7.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	26.5.2009	10.06.2009	09.06.2011 (31.05.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं नौ मास

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

8.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, गुलबर्ग, कर्नाटक	11.5.2010	18.05.2010	17.05.2012 (31.03.2015 तक विस्तार)	दो वर्ष एवं 10 मास
9.	पी.जी.आई.एम. एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, कर्नाटक	30.7.2009	15.8.2009	14.08.2011 (31.12.2014 तक विस्तार)	दो वर्ष एवं चार मास
10.	मेडिकल कॉलेज, पेरिपल्ली, कोल्लम केरल	29.10.2009	10.11.2009	9.11.2011 (30.6.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं चार मास
11.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान	23.6.2011	10.07.2011	09.01.2014 (30.06.2015 तक विस्तार)	एक वर्ष एवं दो मास
12.	पी.जी.आई.एम. एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज जोका, तोलकात पश्चिम बंगाल	29.7.2009	16.8.2009	15.08.2011 (31.12.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं सात मास
13.	मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा	परियोजना `700 करोड़ के अनुमान पर शुरू हुई थी परन्तु `13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् कम आई.पी.जनसंख्या के कारण आस्थगित कर दी गई थी।			
14.	डेंटल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	31.7.2009	16.8.2009	15.8.2011 (31.8.2014 तक विस्तार)	तीन वर्ष
15.	पी.जी.आई.एम. एस.आर.एवं नर्सिंग कॉलेज, इन्दिरा नगर, कर्नाटक	12.09.2010	1.12.2010	30.11.2011 (31.3.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं चार मास

16.	पी.जी.आई.एम. एस.आर. परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	19.12.2008	1.2.2009	31.5.2012 (31.12.2015 तक विस्तार)	दो वर्ष एवं तीन मास
17.	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी दिल्ली	05.2.2010	15.02.2010	पूरा हो गया	शून्य
18.	पी.जी.आई.एम. एस.आर.अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र	19.12.2008	5.2.2009	31.5.2012 (31.12.2015 तक विस्तार)	दो वर्ष एवं दस मास
19.	पी.जी.आई.एम. एस.आर आयानवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	15.5.2009	05.06.2009	पूरा हो गया (04.06.2010)	शून्य
20.	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर कानपुर, उत्तर प्रदेश	27.7.2009	21.08.2009	20.08.2011 (30.06.2015 तक विस्तार)	तीन वर्ष एवं सात मास
21.	पी.जी.आई.एम. एस.आर मानकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	11.6.2009	25.6.2009	25.06.2010 (31.3.2015 तक विस्तार)	चार वर्ष एवं नौ मास

स्रोत: सूचना ई.एस.आई.सी द्वारा दी गई

अनुबंध-VIII
(पैरा 2.9 देखें)

लागत अनुमानों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	मूल अनुमान	संशोधित लागत (31.03.2015 को)	बढ़ी हुई लागत	टिप्पणी
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु	360.31	494.62	134.31	कार्य पुराने भवन में किया गया तथा विलम्ब मुख्यतः पुनर्निर्माण हेतु भवनों के भाग चरणों में सौंपने के कारण है।
2.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	445.61	580.57	134.96	कार्य कब्जे वाले भवन में निष्पादित किए गए हैं।
3.	मेडिकल कॉलेज, अलवर राजस्थान	640.27	861.45	221.16	यू.आई.टी.अधिकारियों द्वारा नौ महीने से कार्य रोक दिया गया, एच.टी लाईनों को न हटाने के कारण विलम्ब हुआ।
4.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, बंगलौर, कर्नाटक	452.25	996.15	543.90	चिकित्सा सेवाएं रोके बिना चालू अस्पतालों को चरणों में सौंपने के कारण, इस परियोजना में विलम्ब हुआ।
5.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान गुलबर्गा कर्नाटक	1124.13	1613.00	488.87	विद्यमान ढलान के कारण भवन का स्थान 30 मीटर तक शिफ्ट करना, एच.टी.लाईने न हटाना
6.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज सनथ नगर, हैदराबाद, तेलंगाना	441.21	694.72	253.51	प्राधिकारियों से विलम्बित अनुमति, गैर-चिकित्सा उपकरण एवं फर्नीचर कुलने के कारण लागत में वृद्धि तथा अनुपूरक अनुमानों के कारण विलम्ब हुआ।

7.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	750.31	924.82	174.51	परिसर से गुजरने वाली एच.टी. लाईनों की शिफ्टिंग तथा अत्यधिक खराब स्थितियों के कारण विलम्ब हुआ।
8.	पी.जी.आई. एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज बसईंधारापुर, दिल्ली	730.82	1470.00	739.18	नगर प्राधिकारियों से विलम्बित अनुमोदन के कारण विलम्ब हुआ।
9.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	528.87	634.80	105.93	सांविधिक अनुमोदन तथा विद्यमान अस्पताल में किए गए कार्य के कारण विलम्ब हुआ।
10.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	635.92	792.06	156.14	भूमि अधिग्रहण तथा सांविधिक अनुमोदन के कारण विलम्ब
11.	मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा	544.70	758.61	213.91	प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब
12.	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम, केरल	480.79	540.00	59.21	आई आई टी से अनुमोदन तथा विद्यमान अस्पताल की शिफ्टिंग के कारण विलम्ब हुआ।
13.	मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा	परियोजना `700 करोड़ के अनुमान पर संस्वीकृत हुई थी परन्तु चारदीवारी पर `13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् कम आई.पी. जनसंख्या के कारण आस्थगित कर दी गई थी।			
14.	डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	177.80	253.94	76.14	जी एच एम सी अनुमति के कारण विलम्ब, कड़ी मेहनत तथा हाई वाटर टेबल।
15.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं नर्सिंग कालेज, इंदिरा नगर, कर्नाटक	71.91	78.84	6.93	अब तक मूल लागत से बचत है।
16.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. पारेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	340.16	300.34	-39.82	परियोजना में विलम्ब वर्किंग फ्रंट की अनुपलब्धता क्योंकि वह अस्पताल चला रहा है

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 40

					तथा सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण हुआ।
17.	डेन्टल कॉलेज रोहिणी, नई दिल्ली	21.55	22.65	1.1	बिना व्ययधान के अस्पताल सेवा सुनिश्चित करने के लिए पुराना भवन सौंपने के कारण विलम्ब हुआ।
18.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र	261.24	260.39	-0.85	चालू अस्पताल में वर्किंग फ्रंट की अनुपलब्धता तथा सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ।
19.	पी.जी.आई.एम.एस.आर आयानवरम चेन्नई, तमिलनाडु	257.09	342.96	85.87	सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, विद्यमान अस्पताल में कार्य करना।
20.	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	254.80	265.52	10.72	सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, विद्यमान अस्पताल में कार्य करना।
21.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. मानिकटाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	92.20	111.71	19.51	विद्यमान अस्पतालों में कार्य करने के कारण विलम्ब हुआ।
	कुल	8,611.94	11,997.15	3,385.21	

स्रोत: सूचना ई.एस.आई.सी. द्वारा दी गई।

अनुबंध-IX
(पैरा 2.10 देखें)

परियोजना लागत/किए गए व्यय (31.03.2015 को) के विवरण

(करोड़ में)

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज का नाम	परियोजना लागत	वित्तीय प्रगति	ई.एस.आई.सी. द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त देयता
1.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज के.के. नगर, तमिलनाडु	494.62	120.00	374.62
2.	मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर, तमिलनाडु	580.57	395.00	185.57
3.	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज बसईदारापुर, दिल्ली	1470	227.34	1242.66
4.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. सनथनगर, हैदराबाद, तेलंगाना	694.72	527.02	167.70
5.	मेडिकल कॉलेज बिहटा, पटना, बिहार	792.06	363.09	428.97
6.	मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा	758.61	624.74	133.87
7.	मेडिकल कॉलेज मण्डी, हिमाचल प्रदेश	924.82	168.53	756.29
8.	मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान गुलबर्ग कर्नाटक	1613	1351.97	261.03
9.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. एवं मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर, कर्नाटक	996.15	371.00	625.15
10.	मेडिकल कॉलेज पेरिपल्ली, कोल्लम, केरल	540	340.00	200.00
11.	मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान	861.45	534.85	326.60
12.	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं मेडिकल कॉलेज जोका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	634.80	327.00	307.80
13.	मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा	परियोजना `700 करोड़ के अनुमान पर संस्वीकृत हुई थी परन्तु चारदीवारी पर `13.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् कम आई.पी. जनसंख्या के कारण स्थगित कर दी गई थी।		
14.	डेन्टल कॉलेज नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना	253.94	92.92	161.02
15.	पी.जी.आई.एम.एस.आर.एवं नर्सिंग कॉलेज इन्दिरा नगर, बंगलूरु कर्नाटक	78.84	46.84	32.00
16.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र	300.34	76.20	224.14
17.	डेन्टल कॉलेज, रोहिणी, दिल्ली	22.65	21.50	1.15
18.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. अंधेरी (पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र	260.39	75.88	184.51
19.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. आयानवरम, चेन्नई तमिलनाडु	342.96	149.00	193.96
20.	डेन्टल कॉलेज पाण्डू नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	265.52	69.15	196.37
21.	पी.जी.आई.एम.एस.आर. मानिकटाला, कोलकाता पश्चिम बंगाल	111.71	73.00	38.71
कुल		11,997.15	5,955.03	6,042.12

स्रोत: ई.एस.आई.सी का उत्तर

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in